

iftLV^{ah} laö Mhö ,yö&33004@99
33004/99

REGD. NO. D. L.-

Hkx II—[k.M 3—
mi&[k.M (i)
PART II—Section 3—Sub-
section (i)

la- 435] **ubZ fnYyh]c`gLifrokj]vxLr 21] 2014@Jko.k**
30] 1936 No. 435] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 21, 2014/SRAVANA
30, 1936

गृह मंालय
अधसूचना

नई द ली, 21 अग त, 2014

600(अ).).).—कीय सरकार, आपदा बंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) क
धारा 75 के साथ पठत धारा 43 !ारा द" त शि\$ तय% का योग करते 'ए िन) निलिखत िनियम बनाती
है, अथा*त:-

भाग 1

ारंभिक

संि त नाम और ारंभ

(1) इन िनियम% का संि-. त नाम रा/ 0ीय आपदा बंधन सं थान कम*चारी (भत3 और अ5 य
सेवा शत7) िनियम, 2014 है ।

(2) ये राजप9 म काशन क तारीख को वृ" त ह%गे ।
परभाषाएं.- इन िनियम% म, जब तक संदभ* से अ5 यथा अपेि-त न हो,
(क) "अधिनियम" से आपदा बंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) अभेत
है ;

(ख) "शै-िणक कम*चारवृंद" से (अनुसंधान सहकारी, सहायक आचाय*, सह-आचाय*, , , ,
आचाय*))) के संकाय पद और परामशय के पद पर िनयु त

(ग) सं थान के कसी पद के संबंध म "िनियुि\$ त ाधिकारी" से उस पद पर िनियुि\$ त करने के
लिए स-म ाधिकारी अभेत है ;

3265 GI/2014

(1)

(घ) "उधार म िलया गया कम*चारी" से कसी ऐसे ाधिकरण का कम*चारी अभेत है िजसक
सेवाएं सं थान !ारा उधार पर ली गई है ;

(ङ) "कम*चारी" से सं थान के मंजूर कए गए कसी पद पर सं थान म सेवारत कोई D यि\$ त अभेत है;

(च) "अ5 य9 सेवा" से ऐसी सेवा अभेत है िजसके िलए कोई कम*चारी, िनियुि\$ त ाधिकारी के
अनुमोदन से सं थान क िनिध से िभ5 न कसी Eोत से अपना वेतन ा. त करता है;

(छ) "सं थान" से भारत सरकार के गृह मं9ालय क अधसूचना संF यांक का.आ. 1862(अ), तारीख
30 अ\$ तूबर, 2006 !ारा गठत रा/ 0ीय आपदा बंधन सं थान अभेत है;

(ज) "वेतन" से सुसंगत तारीख क अनुGेय वेतन अभेत है और इसके अंतग*त िवशेष वेतन और
िन्जी वेतन तथा उधार म िलए गए कम*चारय% क दशा म ितिनियुि\$ त भ" ता भी है Hकतु इसके
अंतग*त कोई अ5 य भ" ते, फस या मानदेय सि) मिलत नहJ हK ;

(झ) "थायी पद" से समय सीमा के िबना वीकृत िनिL चत वेतन दर वाला पद अभेत है ;

(ञ) कसी Mेड के संबंध म "िनियमत सेवा" से िविहत Oया के अनुसार और परवी-ा अविध पूरी
करने के पL चात् कसी मंजूर कए गए पद पर िनियुि\$ त अभेत है ;

(ट) "मंजूरी ाधिकारी" से

- (i) समूह क पद% के संबंध म कीय सरकार अभित है ;
- (ii) समूह क और समूह ग पद% के संबंध म काय*कारी िनदेशक अभित हK ;
- (ठ) “अनुसूची” से इन िनयम% क अनुसूची अभित है ;
- (ड) “अ थायी कम*चारी” से कसी अ थायी पद पर अ थायी कम*चारी क सेवा या कसी थायी पद पर थानाप5 न सेवा अभित है ;
- (ढ) “अ थायी पद” से कसी सीमित समय के िलए एक िनिल चत वेतन दर वाले पद अभित है ;
- (ण) “शासी िनकाय” से आपदा बंधन अधिनयम, 2005 क धारा 42 क उपधारा (4) के अधीन गठत सं थान का शासी िनकाय अभित है ।

भाग 2
भत# के िनबंधन
और शत&

पद के नाम, , , , सं या

सं थान के िविभ5 न वगP के पद% के नाम, संF या, वग3करण, वेतन बKड और Mेड वेतन वे ह%गे जो अनुसूची के तंभ (1) से तंभ (4) म िविनQद/ ट हK ।

भत# क, प-ित, , , , आयुसीमा और अ/ य

भत3 क पSित, आयुसीमा और अ5 य अह*ताएं आद वे ह%गीजो अनुसूची के तंभ (5) से तंभ (13) मिविनQद/ ट हK ।

5. . . . ारंभिक गठन

- (1) िनयमित वेतन और Mेड वेतन बKड वाले िविभ5 न पद% पर िनयु\$ त सभी कम*चारय% को इन िनयम% के अधीन सं थान म उनक सेवा क तारीख से ामशः उनके पद%पर िनयु\$ त समझा जाएगा ।
- (2) उप िनयम (1) म िनQद/ ट कम*चारय% !ारा सं थान म क गई सेवाT को सं थान म उनक सेवा क तारीख से ामशः नित, पुि/ ट, परवी-ा अविध और पशन के िलए अह*क सेवा के योजन के िलए गणना म िलया जाएगा ।

¹Hkkx IIµ[k.M 3 (i)^o

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

3

भाग 3
िनयुि त, , , ,
सेवा िनवृि2 त

ता.- " येक वग* म कम*चारी क U ये/ ठता, उस योV यता ाम !ारा अवधारत क जाएगी िजसम उस Wेणी म िनयुि\$ त के िलए उनका चयन कया गया था और सं थान म उसक ारंभिक िनयुि\$ त क तारीख को अभि. तउसक सापे- U ये/ ठता !ारा शासित होगी ।

परवी.- (1) सीधी भत3 !ारा सं थान म से कसी पद पर िनयु\$ त " येक कम*चारी अनुसूची के तंभ (9) मयथाविनQद/ ट अविध के िलए परवी-ा पर रहेगा ।

परंतु काय*पालक िनदेशक, लेखबS कए जाने वाले कारण% से और कीय सरकार के पूव* अनुमोदन से ऐसे मामल% म, जो आवL यक समझे जाएं, परवी-ा क अविध c<+k सकेगा :

परंतु यह और क परवी-ा अविध बढ़ाए जाने का कोई िविनL चय, परवी-ाधीन अविध समा. त होने के पL चात् आठ स. ताह के भीतर िलया जाएगा और संबंढित कम*चारी को, ऐसा करने के कारण% सहित िलिखत म संसूचित कया जाएगा ।

- (2) उप िनयम (1) म िनQद/ ट c<+kई गई परवी-ा अविध, कसी भी दशा म िविनQद/ ट परवी-ा अविध के आधे से

अधिक नहJ होगी ।

(3) परवी-ा अविध या उसक कोई िव तारत अविध पूरी होने पर कम*चारय% को, यद िनयुि\$ त के िलए ठीक समझे जाते हK, िनयिमत आधार पर उनक िनयुि\$ तय% म ितधारत कया जाएगा और ऐसी परवी-ण क समाि. त के आठ स. ताह के भीतर पुि/ ट क जाएगी ।

(4) यद, यथाि थित, परवी-ा अविध या उसक कसी िव तारत अविध के दौरान सं थान क यह राय है क अधिकारी थायी िनयुि\$ त के योV य नहJ है तो सं थान, अ[यथ3 को, यथाि थित, सेवो5 मु\$ त या इस िनयुि\$ त से पूव* उसके !ारा धारत पद पर ितवत कर सकेगा या ऐसे आदेश पारत कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

8. िविभ5 न पद% पर सभी िनयुि\$ तयां, कीय सरकार के पूव* अनुमोदन से सं थान !ारा क जाएंगी ।

9. . . . माणप.- कोई भी D यि\$ त सीधी भत3 !ारा कसी पद पर तब तक िनयु\$ त नहJ कया जाएगा जब तक –

(क) वह वयं अपने खचापर सं थान !ारा इस कार ाधिकृत कसी िचक" सा D यवसायी से िविहत :प िवधान म शारीरक व थता का माणप9 तुत नहJ कर देता है:

परंतु छह मास से कम क अविध के िलए अ थायी िनयुि\$ त हेतु ऐसा कोई माणप9 अपेि-त नहJ होगा ।

परंतु यह और क छह मास से अधिक कसी िव तारण के िलए शारीरक व थता िचक" सामाणप9 अपेि-त होगा ।

(ख) िनयु\$ त ाधिकारी का यह समाधान नहJ हो जाता है क उसका उ" तम चर9 और पूव*वृ" त है ।

भारत के +कसी भाग म8 सेवा का दािय2 व.- सं थान के कम*चारीभारत म कसी भी थान पर सेवा करने के िलए दायी ह%गे ।

ितिनयुि त.- कोई कम*चारी िजसक ितिनयुि\$ त के आधार पर िनयुि\$ त क जाती है, अनुशासन, आचरण, भिव/ य िनिध, पशन संबंधी फायदे, छु_ी, छु_ी या9ा रयायत, सामूिहक बीमा कम और संबंधित िवषय% के योजन% के िलए अपने मूल काडर के सेवा िनयम% से शािसित होगा ।

िनरह0ता.- वह aिb

(क) िजसने ऐसे aिb से िजसका पित या िजसक प" नी जीिवत है, िववाह कया है; या

(ख) िजसनेअपनेपितयाअपनीप" नीकेजीिवतरहते'एकसीaिbसे'िववाहकयाहै,

पर5तुयदकीयसरकारकायहसमाधानहोजाताहैकऐसा'िववाहउसािबऔरिववाहकेअ5यप-कारकोलागूवीयिविधकेअधीनअनु0ेयहैऔरऐसाकरनेके'िलएअ5यआधारहKतोवहकसीaिbकोइसिनयमके

उसके'िलएजोकारणहK, उ5हलेखबSकरके,

इनिनयम%केकसीउपबंधकोकसीवग*यावग*केaिby%कबाबत, 15. . . . सेवा समाि त

(1) िनयुि\$ त ाधिकारी !ारा कसी अ थायी कम*चारी क सेवा कारण िनयत कए बगैर समा. त क जा सकेगी ।

(क) पहली िनयुि\$ त के अनुकरण मपरवी-ा अविध के दौरान और परवी-ा क ऐसी अविध के पL चात् और पुि/ ट के पूव* कसी भी समय पर िलिखत म एक मास क सूचना !ारा या यद एक मास से कम सूचना है तो ऐसी अविध के वेतन का संदाय करके या एक मास के वेतन का संदाय करके िबना कसी सूचना के,

(ख) संस् थान !ारा काया*ि5 वत कसी परयोजना म, िजसके अंतग*त अनुसंधान परयोजनाएं भी हK, काय* करने के िलए िनयु\$ त अ थायी कम*चारी क दशा म सेवा

समा. त क रीति और सूचना क अविध वह होगी जो नियुक्ति त आदेश म विनियम/ट क जाए ।

(2) उप नियम (1) के खंड (क) के उपबंध% पर निकूल भाव डाले बिना, कसी अथायी कमचारी क सेवाएं –

(क) यदि उसक नियुक्ति त कसी विनियम/ट अविध के लिए कर्ग है तो ऐसी अविध क समा. त पर समा. त हो जाएगी ; या

(ख) यदि उसक नियुक्ति त कसी अथायी पद पर कर्ग है तो ऐसे पद क समा. त पर या ऐसी अविध क समा. त पर जिसके लिए पद का सृजन किया जाता है, समा. त हो जाएगी ।

(3) कसी ऐसे कमचारी को जिसे उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन सेवा समा. त क सूचना दी जाती है, नियुक्ति त अधिकारी के विवेकानुसार सूचना क अविध के दौरान उतनी अज्ञत छुी दी जा सकेगी जो उसे अनुग्य हो ।

विलयन).- संथान का थायी कमचारी, साधारणतया उसके द्वारा सारतः धारण कए गए पद पर दो से अनधिक वर्ष* का धारणाधिकार (विलयन) धारण कर सकेगा :

परंतु अय संगठन म उसक नियुक्ति त उचित णाली द्वारा कर्ग हो ।

सेवा निवृत्ति त.- कोई कमचारी, संथान से, --

(क) साठ वर्ष* क आयु ा. त करने पर सेवा निवृत्ति त हो जाएगा; या

(ख) उसे संथान द्वारा इस निमि" त पदाभिहत चिक" सा बोर्ड* द्वारा सेवा के लिए चिक" सक द/ टया अयोय घोषित कए जाने पर सेवानिवृत्ति त हो जाएगा ।

¹Hkkx HkM 3 (i)⁰

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

5

= छतया निवृत्ति त

(1) संथान के कमचारी जिह हने कम से कम बीस वर्ष* क अहक सेवा क है, नियुक्ति त अधिकारी को तीन मास क लिखत सूचना देकर वेद छया सेवा से निवृत्ति त हो सकगे :

परंतु योय दशात म नियुक्ति त अधिकारी क सहमित से तीन मास से कम क अविध क सूचना को वीकार किया जा सकेगा ।

(2) यदि कोई कमचारी अज*नशोय छुी पर रहते ए पुनः पदग्रहण कए बगैर वेद छया निवृत्ति त के लिए आवेदन करता है तो सेवानिवृत्ति त, अज*नशोय छुी के ारंभ क तारीख सेभावी होगी और ऐसी अज*नशोय छुी क बाबत संद" त छुी संबलम् को वसूल किया जाएगा ।

(3) कसी कमचारी को वेद छया निवृत्तिक सूचना देने के पूर्व*, उसे शासन के त निदेश द्वारा अपना इस

बात का समाधान करना होगा क उसने व ततः बीस वर्ष* क अहक सेवा पूरी कर ली है ।

(4) वेद छया निवृत्ति त क सूचना तनुसार, केवल नियुक्ति त अधिकारी के अनुमोदन से ही वापस ली जा सकेगी, परंतु ऐसी वापसी, सूचना क अविध समा. त होने के पूर्व* क जानी चाहिए ।

(5) बीस वर्ष* क अहक सेवा पूरी करने के पाला चात् दी गई वेद छया निवृत्ति त क सूचना के लिए नियुक्ति त अधिकारी क वीकृति अपेति-त होगी, यदि सूचना क समा. त सेवानिवृत्ति त क उस तारीख से पहले क है जिसको संबंधित कमचारी उसे लागू विदमान नियम% के अधीन सेवा निवृत्ति त हो सकता था ।

(6) निन) निलिखत के सिवाय साधारणतया सभी मामल% म वीकृति दी जा सकेगी -

(क) जहां कम*चारी के िवहस अनुशासना" मक काय*वाहियां लंबित है या अनु; यात क गई हK और अनुशासना" मक ाधिकारी का, मामले क परि थितय% को e यान म रखते 'ए, यह मत है क सेवा के हटाए जाने या पदd युित क शाि त, मामले म आवL यक हो सकती है ; या

(ख) जहां संबंधित कम*चारी के िवहस कसी 5 यायालय म अभियोजन अनु; यात है या ारंभ कया गया है ।(7) वेद छतया िनवृि" त क सूचना देने वाला कोई कम*चारी, िनयुि\$ त ाधिकारी !ारा उसक वीकृित कउपधारणा कर सकेगा और सूचना के िनबंधन% के अनुसार सेवािनवृि" त भावी हो जाएगी जब तक क िनयुि\$ त ाधिकारी सूचना क अविध क समाि. त के पूव* कोई ितकूल आदेश न जारी करे ।

(8) अ5 य संगठन% म ितिनयुि\$ त पर िनयु\$ त सं थान के कम*चारी, ऐसी ितिनयुि\$ त क अविध के दौरान सेवािनवृि" त हेतु आवेदन करने के पा9 नहJ ह%गे ।

(9) वेद छया िनवृि" त क सूचना देने वाला कोई कम*चारी, सूचना क अविध समा. त होने के पूव* उसके नाम जमा छु_ी के िलए आवेदन कर सकेगा जो सूचना क अविध के साथ साथ उसे दान क जा सकेगी ।

2 यागप

(1) कोई अ थायी कम*चारी, िनयुि\$ त ाधिकारी को संबोिधत करते 'ए िलिखत म एक मास क सूचना देकर सं थान क सेवा से " याग प9 दे सकेगा ।

(2) कोई थायी कम*चारी, िनयुि\$ त ाधिकारी को संबोिधत करते 'ए िलिखत म तीन मास क सूचना देकर सं थान कसेवा से " याग प9 दे सकेगा ।

परंतु िनयु\$ त ाधिकारी, इस िनयम के अधीन कितपय िवशेष परि थितय% म " याग प9 देने हेतु लघु अविध अनुGात कर सकेगा ।

भा
ग 4
वेत
न

20. . . ारंभिक वेतन

(1) कोई कम*चारी, कसी पद पर अपनी िनयुि\$ त के पL चात्, उस पद से संलV न वेतन बKड और Mेड वेतन म वेतन ा. त करेगा :

परंतु मंजूरी ाधिकारी, उप िनयम (2) के अधीन रहते 'ए यह िविनL चय कर सकेगा क वह कम*चारी वेतन बKड म कसी उद चतर तर का वेतन ा. त करेगा ।

(2) ऐसे नए पद% पर िजसम अ" यिधक मह" वपूण* या उससे अ5 यथा कत*D य% या दािय" व% को Mहण करना या अद-ता या कदाचार के कारण अथवा अनुरोध पर एक पद से दूसरे पद पर थानांतरण अंतव*िलत है, िनयु\$ त या ो5 नत कम*चारय% के वेतन बKड, Mेड वेतन या वेतनमान का िनयतन समय-समय पर कीय सरकार के कम*चारय% को लागू िनयम% के सटLय िविनयमित कए जाएंगे

वेतनवृि- जब तक क इन िनयम% के उपबंध% के अधीन ितधारत न कया गया हो, वष* क 1 जुलाई को वेतन के वेतनबKड म, वेतनबKड म वेतन और लागू Mेड वेतन के योग के तीन ितशत क दर पर, उसे 10 के आगामी गुणक पर पूणाक करते 'ए वेतन वृिS दी जाएगी, परंतु यह क कम*चारी ने उस Mेड म सेवा के छह मास पूरे कर िलए ह% ।

वेतनवृि- के िलए सेवा.- कसी पद के वेतनबKड म वेतनवृिS के िलए िन) निलिखत सेवा को गणना म िलया जाएगा, अथा*त्:-

- (क) उसी या उ॒द च॒तर म॑ेड म उस पद पर या कसी अ॒ऽ य पद पर कत*॒D य॒काल, चाहे िनरं॒तर हो अथ॒वा नह॒J,
(ख) अ॒ऽ य॒9 से॒वा म॒ सम॒तु य॒ या उ॒द च॒तर पद पर कत*॒D य॒काल; और
(ग) अ॒सा॒धा॒रण छु॒ी से िभ॒ऽ न छु॒ी

परंतु मंजूरी ाधिकारी, यह िनदेश दे सकेगा क वेतनवृ॒ऽ के िल॒ए अ॒सा॒धा॒रण छु॒ी को भी गण॒ना म॒ िल॒या जा॒एगा, यद॒ उसका॒ यह॒ समा॒धान हो॒ जा॒ता है क॒ ऐसी छु॒ीह॒V णा॒व था के कारण॒ या कसी अ॒ऽ य॒ ऐसे कारण से क गई थी जो क॒म*॒चा॒री के िन॒यं॒9ण के परे था ।

23. . . . छु॒ी के दौ॒रान वेतन

- (1) कोई क॒म*॒चा॒री जो आ॒कि म॒क छु॒ी या ित॒करा" म॒क छु॒ी या \$ वा॒आरे॒ऽ टाईन छु॒ी पर है, क॒त*॒D या॒ह॒द के ह॒प म॒ वेतन ा. त करेगा ।
- (2) कोई क॒म*॒चा॒री, जो अ॒ज॒त छु॒ी, पर॒व॒त॒त छु॒ी पर है, ऐ॒सा वेतन ा. त करेगा जो उसे छु॒ी पर जाने के पू॒व*॒ िमल रहा था ।
- (3) कोई क॒म*॒चा॒री जो अ॒ध*॒वेतन छु॒ी पर है, छु॒ी पर जाने के पू॒व*॒ उसके ि॒ारा ा. त क॒ए जा रहे वेतन के आ॒धे क॒ दर पर वेतन ा. त करेगा ।
- (4) कोई क॒म*॒चा॒री जो अ॒े य॒यन छु॒ी पर है ऐसी दर पर वेतन ा. त करेगा जो भारत सरकार ि॒ारा ि॒विन॒Qद/ ट क जाए ।
- (5) अ॒सा॒धा॒रण छु॒ी पर कसी क॒म*॒चा॒री को कोई वेतन अनु॒Gे॒य नह॒J होगा ।
- (6) अ॒ज॒त छु॒ी पर गया कोई क॒म*॒चा॒री ऐसे वेतन के सम॒तु य॒ छु॒ी वेतन ा. त करेगा जो उसे छु॒ी पर जाने के ठीक पहले िमल रहा था ।

िनलंबन के दौ॒रान वेतन.- िनलं॒बित कसी क॒म*॒चा॒री को, िनलंबन के दौ॒रान ऐ॒सा जी॒वन िन॒वा*॒ह भ" ता सं॒द" त॒क॒या जा॒एगा जो भारत सरकार के कसी क॒म*॒चा॒री को अनु॒Gे॒य हो ।

¹Hkkx िμ[k.M 3 (i)^o

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

7

मान॒दे॒य और फ॒,स॒.- सं॒ था॒न कसी क॒म*॒चा॒री के िल॒ए ि॒व॒शेष परि॒थि॒त॒य% म॒ ऐ॒सा ि॒व॒शेष वेतन, वै॒यि\$ त॒क वेतन, मान॒दे॒य या फ॒स ऐसी श॒ता॒P पर मंजू॒र कर सकेगा जो मंजू॒र करने वाले ा॒धि॒का॒री ि॒ारा अ॒व॒धा॒र॒त क जाए ।

26. . . . वेतन आ॒हरण

- (1) कोई क॒म*॒चा॒री उस पद के वेतन का ह॒क॒दा॒र हो॒गा ि॒ज॒स पर उसे उस तारी॒ख से, ि॒ज॒सको वह पद का का॒य*॒भा॒र म॒हण करता है, ि॒न॒यु\$ त॒ क॒या जा॒ता है ।
- (2) सं॒ था॒न के क॒म*॒चा॒र॒य% का वेतन और भ" ते, मा॒च*॒ मा॒स के ि॒स॒वा॒य उस मा॒स के अं॒ति॒म का॒य*॒द॒व॒स को सं॒दे॒य ह%गे ि॒ज॒ससे वे सं॒बं॒धि॒त ह॒K, त॒था॒पि मा॒च*॒ मा॒स के वेतन और भ" ते, अ॒ैल के थ॒म का॒य*॒द॒व॒स को सं॒दे॒य होते रहगे ।
- (3) ि॒न॒य॒म 21 के अधी॒न अ॒पे॒ि॒त सू॒च॒ना के ब॒गै॒र सं॒ था॒न क से॒वा से " या॒ग॒प॒9 दे॒ने वाले क॒म*॒चा॒री को, जब तक ि॒न॒यु॒ऽ त ा॒धि॒का॒री ि॒ारा अ॒ऽ य॒था ि॒न॒द॒श न द॒या जा॒ए, ऐ॒सा दे॒य वेतन जो ि॒न॒का॒ला नह॒J गया है, वेतन ि॒न॒का॒ल॒ने क अनु॒Gा नह॒J दी जा॒एगी ।

परंतु इस का॒र ि॒न॒का॒ल॒ने के िल॒ए अनु॒Gा॒त न क॒या गया वेतन, एक मा॒स के वेतन से अ॒धि॒क नह॒Jहो॒गा ।

बो॒न॒स.—सं॒ था॒न के क॒म*॒चा॒र॒य% के िल॒ए त॒द॒थ* बो॒न॒स का सं॒दा॒य उसी दर पर और उ॒ऽ ह॒J सी॒मा॒T के अधी॒न

रहते 'ए क॒या जा॒एगा जो स॒म॒य-स॒म॒य पर की॒य सर॒का॒र के क॒म*॒चा॒र॒य% को ला॒गू हो॒ता है ।

भा

ग 5

भ2

ते

भ2 ते.—ऐसे सभी भ" ते, जो समय-समय पर कीय सरकार के कम*चारय% को अनुGेय हK, सं थान के

कम*चारय% को उ5 हJ दर% पर और उ5 हJ िनबंधन% और शतP पर, जो कीय सरकार के कम*चारय% को लागू हK, अनुGेय ह%गे ।

29. लंबन और िनवा0ह अनुदान.—ििन लंबन और िनवा*ह अनुदान से संबंधित िन यम जो के5 िय सरकार के कम*चारय% पर लागू होते हK सं थान के कम*चारय% पर भी लागू ह%गे ।

30. यायत.—सं थान के कम*चारी या9ा छूट र यायत के िल ए उ5 हJ िन बंधन% और शतP पर हकदार ह%गे जो समय-समय पर समतु य Mेड के के5 िय सरकार के कम*चारय% को अनुGेय हK ।

31. भ2 त का आहरण

(1) कसी कम*चारी को क सी मास के िल ए अनुGेय मंहगाई भ" ता, परवहन भ" ता और मकान क राया भ" ता, कम*चारी के वेतन के साथ संदेय होगा ।

(2) सं थान के कम*चारय% के िल ए या9ा भ" त%, या9ा छूट रयायत% और दैििन क भ" त% का िनधा*रण

सं थान से िल ए गए अभिदाय (एडवांस) यदि कोई हो, के समायोजन के उपबंध% के अधीन रहते 'ए क या जाएगा ।

(3) जब तक िन युि\$ ताधिकारी अ5 यथा िनदश न दे, तब तक, सं थान से िब ना सूचना के " यागप9 देने वाले कम*चारी को, देय क न्तु आहरत नहJ किया गया भ" ता आहरत करने क अनुGा नहJ दी जाएगी ।

परंतु आहरत करने के िल ए अनुGात नहJ कए गए भ" ते एक मास के भ" त% से अधि क नहीं ह%गे ।

और िशण भ2 ता

(1) सं थान म ित िन युि\$ त के आधार पर िन यु\$ त कम*चारय% को, सं थान का वेतनमान और अ5 य सेवा फायदे ा. त करने या उनके वयं के वेतनमान ितधार त करने और इस िव षय पर भारत सरकार के िव ह्मान अनुदेश के अनुसार ित िन युि\$ तभ" ता, िश-ण भ" ता पाने का िव क प द या जाएगा ।

(2) सं थान के काय*पाल क िन देशक, के5 िय सरकार के िश-ण सं थान% के मुख को अनुGेय दर पर स" कार भ" ता लगे ।

भाग-

6

सुि

व

धाएं

33. . . . बाहरी िच

(1) संथान के कम*चारी वयं और कुटु ब के घोषित सदय% हेतु चिकित्सा उपचार। त करने के पा9

ह%गे।

4 टीकरण

इस उपनि यम के योजन% के लिए "कुटु ब" पद का वही अथ* होगा जो के5 िय सेवा (चिक" सा परचया*) िन यम,

1944 म उसका है।

(2) वष* के दौरान बाहरी चिक" सीय D यय, वा तिव क D यय या उस वष* क 1 जनवरी या एक मास का

वेतन (मूल वेतन+मंहगाई भ" ता) इनम से जो कम भी हो, तक सीमित होगा।

(3) दवा, डा\$ टर क परामश* पच3 और डा\$ टर !ारा उपचार के और Oय क गई औषधय% के मूल कैश मैमो या िब ल के साथ समथत होना चाहिए।

(4) वष* के दौरान पद Mहण करने वाले संथान के कम*चारय% क, वाषक हकदारी अनुपातत: के आधार पर िन बंधित होगी।

(5) बाहरी चिक" सा उपचार, संथान बनाए रखे गए पैनल से ाधि कृत चिक" सीय परचारक% से करवाया जाएगा।

अंतरंग रोगी चिक +क

(1) अंतरंग रोगी चिक" सा उपचार के योजन के लिए, संथान के कम*चारी, संथान !ारा इस िन िम " ाधि कृत चिक" सालय% म चिक" सा उपचार के हकदार ह%गे, और इस योजन के लिए चिक" सा D यय िज सके अंतग*त चिक" सालय वास सुविधा, परचया* गृह सुविधा आदभी है ऐसे के5 िय सेवा (चिक" सीय परचया*) िन यम, 1944 के उपबंधो के अनुसार होगा जो के5 िय सरकार के समतु य वेतन ा. त करने वाले कम*चारय% को लागू होते हK।

(2) उपरो\$ त उपनि यम (1) के योजन के लिए ाधि कृत चिक" सालय वही ह%गे जो के5 िय सेवा (चिक" सीय परचया*) िन यम, 1944 !ारा वि िन यिम त के5 िय सरकार के कम*चारय% को उपलब्ध हK।

(3) ाधि कृत चिक" सालय म चिक" सा उपचार आपात िथित के िस वाय, ाधि कृत चिक" सा परचारक% क सलाह पर क या जा सकेगा।

एडवांस).— " यौहार-अिम म, मोटर कार-अिम म, D यि\$ तगत कं. यूटर-अिम म, गृह िन मा*ण अिम म, पंखा अिमम आद जैसे अभिदाय% से संबंधित भारत सरकार के िन यम संथान के कम*चारय% को उ\$ ह\$ दर% पर और उ\$ ह\$ सीमाT के अधीन रहते 'ए लागू ह%गे जो समय-समय पर के5 िय सरकार के कम*चारय% को लागू होते हK।

35. क बीमा.—(1) िति िन युि\$ त पर िन यु\$ त कम*चारय% से िभ5 न संथान के कम*चारी के5 िय सरकार क परामश* से सामूहिक बीमा के हकदार ह%गे।

(2) िति िन युि\$ त पर िन यु\$ त संथान के कम*चारी, ऐसी सामूहिक बीमा कम% !ारा शासित होते रहेंगे जो उनके मूल मं9ालय या विभाग या संगठन म लागू होती हK।

1Hkkx IIµ[k.M 3 (i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

9

(3) संथान, उपनि यम (2) म नद/ट कम*चारय% से बीमा कम% माे, िति दाय वसूल करेगा और उस रकम को तुरंत उधारदाता मं9ालय या विभाग या संगठन को भेजेगा और उसके वि लंब से भेजने के कारण ई हांनिसंथान !ारा पूरी क जाएगी।

36. सवारी भ2 ता.—सं थान के कम*चारय% को सरकारी काय* के िल ए सरकारी वाहन का उपयोग करने या ऐसी रकम क ितपूत3 का िवक प अनुGात कया जाएगा जो समतु य वेतन और Mेड म के5 िय सरकार के अधि कारय% को अनुGेय है ।

37. धा.—सं थान के कम*चारी ऐसी टेलीफोन सुविधाT के पा9 ह%गे जो के5 िय सरकार के समतु य वेतन पाने वाले अधि कारय% को अनुGेय है ।

38. ए ! यय.—सं थान के कम*चारी सरकारी बैठक% के िलए ऐसे D यय के पा9 होग जो समतु य वेतन पाने वाले के5 िय सरकार के अधि कारय% को अनुGेय है ।

भाग 7

NqV~Vh

39. यम.—के5 िय सरकार के कम*चारय% को यथा लागू के5 िय िस िव ल सेवा (NqV~Vh) िन यम,1972

सं थान के कम*चारय% को भी लागू ह%गे ।

40. छुट्टी मंजूर करने क, +E या

(1) कोई कम*चारी NqV~Vh पर जाने से पूर्व*, सं थान !ारा िविन Qद/ ट ाhप म आवेदन करेगा, तथा उसम

NqV~Vh के दौरान का अपना पता और टेलीफोन नंबर भी िल खेगा और सं थान को उस पते म 'ए क सी

पL चात् वत3 परवत*न क सूचना देगा ।

(2) काय*पालक िनदेशक अे ययन अवकाश से िभ 5 5 ाNqV~Vh के सभी आवेदन% के िन पटान के िल ए स-म

ाधि कारी होगा ।

(3) काय*पालक िनदेशक क दशा म के5 िय सरकार NqV~Vh मंजूर करने के िल ए, िज सके अंतग*त अे ययन

अवकाश भी है, स-म ाधि कारी होगी ।

(4) सं थान, " येक कम*चारी के िलये एक NqV~Vh खाता रखेगा ।

भाग 8

प8शन और अ/

य फायदे

41. प8शन : सं थान के सभी कम*चारय% को नई पशन कम, 2004 के उपब5 ध और भारत सरकार !ारा उसके अधीन जारी क ए गए आदेश और िन देश लागू ह%गे ।

ित : कैरयर समु5 नित के ऐसे उपब5 ध, जो िव L विव धालय अनुदान आयोग के शै- णिक कम*चारीवृद को लागूहोते हKसं थान के शै- णिक कम*चारीवृद को लागू ह%गे ।

यर गित : उपा5 तरत आL व त कैरयर गित कम के उपब5 ध जो के5 िय सरकार के कम*चारय% को लागू होते हK, सं थान के गैर शै- णिक कम*चारीवृद को लागू ह%गे ।

भाग 9

आचरण, , , , अनुशासन और शाि< त

42. आचरण.—

- (1) के5 ीय िसिव ल सेवा (आचार) िन यम, 1964, सं थान के कम*चारय% को भी लागू ह%गे ।
- (2) के5 ीय िसिव ल सेवा (वग3करण, िन यं9ण और अपील) िन यम 1965 सं थान के कम*चारय% को भी

लागू ह%गे ।

(3) जहां िव िन Qद/ टmपसे उपबि5 ध त है उसके िस वाय, सं थान का शासी िन काय, अपने कम*चारय%क बाबत उ5 हJ शि\$ तय% का योग करेगा जो के5 ीय सरकार के कम*चारय% के िलये भारत संघ के रा/ 0पित !ारा यो\$ तD य हK ।

(4) िन युि\$ तािधकारी, अनुशासन ािधकारी होगा और अपील ािधकारी क शि\$ तय% का योग अगले वर/ ठ अधिकारी !ारा क या जाएगा ।

(5) सं थान !ारा उधार म िलए गए के5 ीय सरकार या राU य सरकार के सेवक कम*चारय% क बाबत के5 ीय िसिव ल सेवा (वग3करण, िन यं9ण और अपील) िन यम, 1965 का 0मशः िन यम 20 और िन यम 21 लागू ह%गे ।

43. लH बन.-

(1) िन युि\$ तािधकारी या उस ािधकारी से वर/ ठ कोई अ5 य ािधकारी, कसी कम*चारी को िन लि) ब त कर सकेगा—

(क) यदकसी ऐसे ग) भीर आरोप क बाबत, िजसके परणाम, वmप मुF य शाि त अधि रोपि त क जाने क स) भावना है, उसके िव mS कोई अनुशासना" मक काय*वाही अनुे यात क जाती है या लि) ब त है, या

(ख) यदक सी दांिड क अपराध क बाबत उसके िवmS कोई मामला अवेषणाधीन या िव चारणाधीन है ।

(2) ऐसे क सी कम*चारी को जो क सी दांिड क आरोप के आधार पर या उससे अ5 यथा अड़तालीस घंटे से अधि क अविध के िल ए अभि र-ा म िनmS है िनयुि\$ तािधकारी के आदेश !ारा उसक अभि र-ा क तारीख से िन लि) ब त समझा जाएगा और अिमम आदेश% तक िनलि) ब त रहेगा ।

(3) इस िन यम के अधीन दया गया या द या गया समझा गया िन ल) बन का कोई आदेश, ऐसे ािधकारी !ारा, िज सने उसे द या है या िज सके !ारा दया गया समझा गया है अथवा कसी वर/ ठ ािधकारी !ारा क सी भी समय वापस िल या जा सकेगा ।

44.

त करने क, शि त.- नीचे क सारणी के तंम (3) म िव िन Qद/ ट ािधकारी, उ\$ तसारणी के तंम (4) म िव िन Qद/ ट शाि त यां अधि रोपि त करने के िल ए स-म होगा, vFkkZr~ :

सारणी		शाि तयां अधिरोपित शि तय% के k यौरे	
00 सं0कम*चारीवृंद का वग*		करने वाले ािधकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	समह ख और समह ग म स	कायपालक िनदशक	मF यशाि तया
2.	समह ख और समह ग म स	सय\$ तिनदशक	मF यशाि तया
3.	समह क	क5 ीय सरकार	सभी शाि तया

45. उधार म४ िलए गए कम०चार

(1) जहां उधार म िलए गए कसी कम*चारी के िवms िनल) बन का कोई आदेश द या जाता है या कोई अनुशासना" मक काय*वाही ार) भ क जाती है वहां तुर५ त उधार देने वाले ाधिकारी को यथाि थ ित िन ल) बन आदेश या अनुशासना" मक काय*वाहिंयां ार) भ करने स) ब५ धी आदेश क परि थ ित य% के बारे म सूिच त क या जाएगा ।

(2) ऐसे कम*चारी के िवms अनुशासना" मक काय*वाही के िन/ कषP को e यान मे रखते 'ए-

(क) यदशाि त अधि रोिप त करने वाले ाधिकारी क यह राय है कउस पर कोई मुF य शाि त अधि रोिप त क जानी चाहिए तो वह उसक सेवाएं उधार देने वाले ाधि कारी के अधि कार म दे देगा और ऐसी कार*वाई के िल ए जो वह ठीक समझे, जांच क काय*वाहिं यां उसे पारेिष त करेगा ; और

¹Hkkx IIµ[k.M 3 (i)^o

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

11

(ख) यदशाि त अधि रोिप त करने वाले ाधिकारी क यह राय है कउस पर कोई अ५ य शाि त अधि रोिप त क जानी चाहिए तो वह उधार देने वाले ाधिकारी से परामश* करने के पL चात्

मामले म ऐसे आदेश पारत कर सकेगा जो वह आवL यक समझे :

पर५ तु उधार देने वाले ाधिकारी और शाि त अधिरोिप त करने वाले ाधिकारी क

िभ ५ न-िभ ५ न राय होने क दशा म कम*चारी क सेवा उधार देने वाले ाधिकारी के िनण*यानुसार क जाएगी ।

करण : इन िन यम%के योजन% के िल ए "उधार देने वाले ाधि कारी" से ऐसा ाधि कारी अभ ेत है िजसने उधार दए गए कम*चारी क सेवाएं सं थान के अधि कार म िनयत क हK ।

भाग 10
अपील और
पुनवलोकन

कारी.-के५ िय सरकार के इन िन यम% के अधीन काय*पालक िन देश !ारा कए गए क सी मूल आदेश क अपील के५ िय सरकार को और काय*पालक िनदेशक क पंि\$ त से िन) नतर पंि\$ तके कसी ाधि कारी !ारा कए गए आदेश क अपील काय*पालक िनदेशक को क जाएगी ।

सीमा काल.- कोई अपील उस तारीख से पKतालीस दन क अविधके भीतर ही तुत क

जाएगी िज सको वह आदेश िज सके िव hS अपील क जाती है, स) बंिध त D यि\$ त को संसूिच त क या जाता है :

पर५ तु अपील ाधि कारी, उ\$ त अविध क समाि. तपर अपील Mहण कर सकेगा यद उसका यह समाधान हो जाता है कअपीलाथ३ के पास समय के भीतर अपील तुत न करने का पया*. त कारण था ।

अपील का ाJP, , , , उसक, अ/ त

(1) अपील तुत करने वाला " येक D यि\$ तपृथक mप से और अपने वयं के नाम से अपील करेगा ।

(2) अपील, अपील ाधिकारी को स) बोिध त क जाएगी, िज सम ऐसे सभी ताि" वक कथन और दलीले अंतव/ टह%गी िजसका अपीलाथ३ ने अवल) ब िल या है, उसम कोई अनादर सूचक या

अनुचित भाषा अंतर्व/ ट नहJ होगी और यह अपने आप म पूण* होगी ।

(3) " येक अपील काय*पालक िन देशक को तुत क जाएगी, यदवह अपील ाधिकारी नहJ है तो वह उसे अपील ाधिकारी को ेिष त करेगा ।

चार करना.-अपील ाधि कारी, " येक अपील पर िव चार करेगा और ऐसे आदेश पार त करेगा जो वह मामले क परिथितय% म उचि त समझे :

परंतु वधत शाि त अधि रोपि त करने का कोई आदेश तब तक पारत नहJ क या जाएगा जब तक अपीलाथ3 कोई ऐसा अ यवेदन करने का जो वह ऐसी वधत शाि त के िव mS करना चाहे, अवसर नहJदे द या जाता है ।

पुनवलोकन.- पुनवलोकन के योजन% के िल ए, के5 िय िस िव ल सेवा (वग3करण, िन यं9ण और अपील) िन यम,1965 सं थान के कम*चारय% को भी लागू ह%गे ।

51. बहाली के आदेश.- जहां कसी ऐसे कम*चारी क िजसे पदd युत या िन लि) बत कया क या गया है, पुन:बहाली क जाती है, वहां पुन:बहाली करने वाला ाधि कारी यह िविनQद/ टकरते 'ए आदेश करेगा क-

(क) \$ या कम*चारी को अनुGेय वेतन और भ" त% के अित र\$ त कत*D य काल से उसक अनुपि थ ित क अविध का कोई वेतन और भ" ते दए जा सकगे या नहJ ;

(ख) \$ या ऐसी अविध को सभी या क5 ही योजन% के िलए कत*D याmढ़ अविध के mप मे माना जा सकेगा या नहJ ।

भाग 11

िविवध 52.

कम0चारय के िल

(1) सं थान के कम*चारय% को, अपने वयं के परसर म ऐसे भवन%का िनमा*ण पूरा होने के पL चात् असुसिU ज त िन वास थान उपलk ध करवाया जा सकेगा ।

(2) सं थान के कम*चारय% को सं थान !ारा, ऐसी समयाविध तक, अब तक उनके वयं के परसर िव किस त नहJ हो जाते हK और भवन% का िनमा*ण नहJ हो जाता है, पnटेपर असुसिU ज त िन वास थान उपलk ध करवाया जा सकेगा :

पर5 तु इस िन यम के अ5 तग*त ऐसे िन वास थान क अनुGि. तफस, समय-समय पर यथा संशोधि त

मूल िन यम 45ए के उपब5 ध% के अनुसार भारत क जाएगी ।

(3) सं थान के कम*चारी, िज सके अ5 तग*त ित िन युि\$ त पर िन यु\$ त कम*चारीभी हK ऐसे मकान कराए भ" तेके हकदार ह%गे जो समान वेतन पाने वाले के5 िय सरकार के कम*चारय% को अनुGेय है ।

अवकाश के +द न.-सं थान म ऐसे अवकाश ह%गे जो द ली ि थत काया*लय% के िलए के5 िय सरकार !ाराअवधारत क ए जाएं ।

सेवा पुि< तका और चर

(1) संस् थान, ऐसे mप म और ऐसी िव िशि ि/ टयां उपव\णत करते 'ए जो शासी िनकाय Sारा िव िन Qद/ ट क जाए, " येक कम*चारी क सेवा पुि तका और चर9 पु तक रखेगा ।

(2) कसी कम*चारी क सेवा पुि तका म िवि/ ट यां, सं थान के ाधि कृत अधि कारी !ाराक जाएंगी ।(3) कसी कम*चारी क चर9 पु तक म िवि/ ट यां, िन युि\$ ताधि कारी !ारा अधि किथ त क या के अनुसार क जाएंगी ।

जन.- काय*पालक िन देशक शासी िन काय के अधीन रहते 'ए, इन िन यमो के अधीन उसम िन िह त क5 हJ शि\$ तय% को सं थान के कसी अ5 य अधि कारी को " यायोजन कर सकेगा । शत&.-कसी कम*चारी क सेवा क शतPसे स) बंधि त कोई ऐसा मामला, िज सके िल ए इन िन यम% म कोई उपब5 ध नहJ क या गया है, सं थान िरावधारत कया जाएगा ।

निव0चन.- यद इन िन यमो के िनव*चनसे स) बंधि त कोई L न उदभूत होता है तो उसका िव िन L चय के5 िय सरकार िराक या जाएगा ।

1. कायपालक

निदेशक का नाम(1) 1(एक) पदकसंयाक समूह 'क' वग
करण(3) वेतन ब ड 4, (37400--67000 पए) धन 10000
ेड वेतन अनुसूची(4) या वेतनमान
लागू नह होता अथवा अचयन(5) सीधे भत िय केकेकेके िलएलागू नह होता(6)
सीधे भतअ यअह"ताएं लागू नह होतािय केकेकेके िलए(7)
¹Hkkx IIμ[k.M 3 (i)^o Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 13

कया जाएगा निकाय% या वि* विव+ालय%या क !ीय सरकार या रा# य सरकार% ारा पूणतः वि- तपोषित संगठन% के अधीन ऐसे अधिकारी-- (क) जिह%ने मूल काडर या विभाग म नियमित आधार पर सदृश पद धारण 3कया4आ है ; और (ख) जो, अखिल भारतीय सेवा8 के अ9 यःथय% के मामल% के िसवाय, िन< निलिखत शैि&कअहताएं और अनुभव रखते ह% :-- आव4 यक (i) क !ीय सरकार या रा#यसरकार% या संघ रा#य&े% या कानूनी या (वशासीनिकाय% या वि* विव+ालय%या क !ीय सरकार या रा# यसरकार% ारा पूणतः विव+ तपोषित संगठन% म अठारह वष का शासिनक और शै&णिक अनुभव, िजसम से शासिनक/कानूनी या बंधक@य पद धारण करने का 1 यून्तम पांच वष का अनुभवहो । (ii) 3कसी विषय म (नातको- तर िड ी ।(iii) आपदा बंधन से संबंधित &े% म कम से कम पांच वष का अनुभव और जानकारी । बंछनीय : या #ितिनयि या अ0 पकािलक सिवदा या भी हैहैहैहै) :-- क !ीय सरकार या रा#यसरकार% या संघ रा#य&े% या कानूनी या (वशासी(11) भत क दशा मममम वववव िणया #ितिनयि या

आपदा बंधन से संबंधित 3कसी विषय म पी.एच.डी. या एम.3फल. ।अविध, िजसके अतगतके!ीय सरकार के उसी या 3कसीअ1य संगठन या विभाग म इस िनयुि से ठीक पहले धाERत3कसीअ1य काडर बाF पद पर ितिनयुिक@ अविध भी है, सात वष से अधिक नह होगी । 1 :ितिनयुिक@ अविध साधारणतया पांच वष क@ होगी, जो सात वष तक वि(ताERत क@ जा सकेगी । तथापि, ितिनयुिक@ 2 :ितिनयुि (िजसके अंतगतअपकािलक संविदा भी है) पर िनयुि के िलए अधिकतम आयु-सीमा विवGापन के वष क@

समूह 'क' ' ' ' विभागीयिन;िलिखत सेसेसेसे िमलकर1. संघ का गृह सिचव विभागीय #ो%ित(12) उसक सरचना -- अHय&	आयोग सेसेसेसे परामश" लागू नह होता । प+रि8थितयमममम संघ(13)

2.सिचव (सीमा बंधन) या आपदा बंधन का भारी विवशेष सिचव या अपर सिचव, गृह मंालय3. सिचव, राज Kीय आपदा बंधन ाधिकरण4. . . . अपर सिचव और (थापना अधिकारी, का:मक और िश&ण विभाग -- सद(य-- सद(य-- सद(य

2. संयुL तिनदेशक
लागू नह
होता
(1)

(6) 1* (एकसकता हैहैहैहै) । काय"भार केकेकेके आधार

लागू
नह(7)
होता

(2)
लागू नह होता (8)

समूह 'क'

लागू नह
होता
(3)
(9)

वेतन ब ड 4
(37400-67000/- पए) धन
8700/-
ेड वेतन

ितिनयुिारा (जिसके
अंतगतअपकािलक
(4)

(10)
लागू नह
होता (5)

िनकाय% या िव* विव+ालय%या क !ीय सरकार या रा# य सरकार% ारा पूणतः िव- तपोषित संगठन% के अधीन ऐसे अधिकारी-- (क) (i) िज1ह%ने मूल काडर म वेतन ब ड 4 (37400-67000/- पए धन 8700/-
ेड वेतन) म िनयिमत आधार पर सदृश पद धारण 3कया4आ है ; या (ii) िजनक@ 7600/- पए
ेड वेतन के साथ वेतन ब ड 3 म पांच वष क@ िनयिमत सेवा है ; या (iii) िजनक@ 6600/- पए
ेड वेतन के साथ वेतन ब ड 3 म दस वष क@ िनयिमत सेवा है ; और (ख) जो, अखिल भारतीय सेवा8 के अ9 यःथय% के मामल% के िसवाय, िन< निलिखत आव* यक शैि&कअहताएं और अनुभव रखते ह% :- आव4 यक (i)कसी िवषय म नातको तर िडी । और (iii)
वेतनबड3 म7600/- पए ेड वेतनम पांच वष अनुभव या कसी सदृशपद म पांच वष का "शासिनक अनुभव या वेतनबड3 (15600-39100/- पए) म6600/-ेड वेतनम \$
यूनतम दस वष का "शासिनक अनुभव । भी हैहैहैहै) :- क !ीय सरकार या रा#यसरकार% या संघ रा#य&े% या कानूनी या
(वशासी(11) सिवदा भी ह)

आपदा बंधन से संबंधित िश&ण/शासन के &े' म कम से कम पांच वष का अनुभव ।अविध, िजसके अ1तगतके!ीय सरकार के उसी या 3कसीअ1य संगठन या िवभाग म इस िनयुि से ठीक पहले धाERत3कसीअ1य काडर बाF पद पर ितिनयुिक@ अविध भी है, पांच वष से अधिक नह होगी । 2 :ितिनयुि पर िनयुि के िलए अधिकतम आयु सीमा 56 वष होगी । 1 :ितिनयुिक@ अविध साधारणतया तीन वष क@ होगी, जो पांच वष तकिव(ताERत क@ जा सकेगी । तथापि, ितिनयुिक@

	ई होगी । लागू नह होता । (13)

विशेष सिचव या अपर सिचव, गृह मंत्रालय 2. सिचव/विशेष सिचव/अपर सिचव/संयुक्त सिचव (शासन), राजकीय आपदा बंधन अधिकरण 3. मंत्रालय का, आपदा बंधन का भार साधक, संयुक्त सिचव (आपदा बंधन) 4. . . . कायपालक निदेशक, राजकीय आपदा बंधन संस्थान -- सदस्य-- सदस्य-- सदस्य

1. Hkkx II [k.M 3 (i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

15

3. आचार्य(1)

लागू नह होता *(कायभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) । 3* (तीन)
(5)

(2)

55 वर्ष से अनधिक । +ट6पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निणायक तारीख विवरण के वर्ष का 1 जुलाई होगी ।
समूह 'क' (3)

(6)

वेतन ब ड 4 37400-67000/-
पए धन 10000/-
ेड वेतन (4)

आवश्यक अहता (i) सामाजिक विवरण/पयावरण/पृष्ठ वी विवरण/इंजीनियरी/आपदा बंधन या सहबन्ध विषय% म कम से कम 55% अंक% या समतुल्य ऒणी म (नातको- तर िड ी । (ii) निरंतर उ- तम शैक्षणिक एकाड के साथ पी.एच.डी. ; और (iii) पु तक% और या अनुसंधान या नीति विषयक कागजप% का अनुमिकाबन्ध या अ1 तरराज कीय मानक पु तक संर यांक/अ1 तरराज कीय मानक Q म संर यांक संर यांकत जनल% के S प म और अ1 तरराज कीय मानक पु तक संर यांक/अ1 तरराज कीय मानक Q म संर यांक संर यांकत पु तक% के S प म 1 यूनतम 10 काशन% के साथ साT य सहित काशित कृतिय% अनुसंधान और िशण म स3Qय S प से कायरत उU च(तर क@ काशित कृति ; (iv) वि* विव+ालय या राजकीय (तर के सं(थान म वातको- तर अH यापन म कम से कम दस वर्ष का अनुभव ; (7)
--

(v) िशण और िशं, नवीन पावचया तथा पावQम क@ परक पना, िशण मापदंड% और ौ+ोगिक@ के विकास करने के नववतन के लिए योगदान । वांछनीय अहंसा : : : : (i) डा टरेट तर पर अनुसंधान के लिए अ+य, थय. का मागदशन करने

का अनुभव; (ii) सुसंगत & म माणित R याति सिद्ध ऐसा उ- कृठ वृिZक, िजसने - यायक% ारा माणित संबंधित या स< बN अथवा सुसंगत

	Gान & ममह- वपण योगदा(9)	

करता है।

हा

-ारा : िजसने Oेणी म िनयिमत आधार पर आठवषक@ सेवा क@ है और जो पद के िलए (तंभ (7) म दी गई आव* यक अहताएं पूरी

सीधी भता क िलए एक वष 50% सीधी भता ारा और 50% ितिनयिरा (िजसक अतगतअपकािलक सिवदा भी ह), िजसक न हो सकन पर सीधी भता ारा (11)

(वशासी िनकाय% या िव िव+ालय%या क !ीय सरकार या रा# य सरकार% ारा पूणतः िव- तपोषित संगठन% के अधीन ऐसे अधिकाERय% या कमचाERय% म से, जो मूल काडर या िवभाग म िनयिमत आधार पर सदृश पद धारण 3कए 4ए ह; या सहयोगी आचाय, िजसने Oेणी म िनयिमत आधार पर आठवषक@ सेवा क@ है और जो पद के िलए (तंभ (7) म दी गई आव* यक अहताएं पूरी करता है। अविध, िजसके अ1तगतके!ीय सरकार के उसी या 3कसीअ1य संगठन या िवभाग म इस िनयुि से ठीक पहले धाERत3कसीअ1य काडर 1 : ितिनयुिक@ अविध साधारणतया तीन वष क@ होगी, जो पांच वष तक िव(ताERत क@ जा सकेगी। तथापि, ितिनयुिक@ -ारा:-- क !ीय सरकार या रा#यसरकार% या संघ रा#य&े% या कानूनी या

--

बाF पद पर ितिनयुिक@ अविध भी है, पांच वष से अधिक नह होगी। 2 : ितिनयुि पर िनयुि के िलए अधिकतम आयु-सीमा, िवGापन के वष क@ 1 जुलाई को 56 वष होगी।

			होगी। लागू नह होता। (13)

बंधन अधिकरण 3. संयुक्त त सचिव (आपदा बंधन), गृह मंत्रालयवाले, आपदा बंधन के क्षेत्र के तीन विवर यात्रा बाहरी विशेष

4. सह आचाय(1)

लागू नह होता (5) * (कायभार परवतन 3 कया जा सकता है 1) के (2)

उस वर्ष क, जिसको विगोपन जारी 3 कया जाता है, 1 जुलाई को 50 वर्ष 1+ट6पण : आयु-सीमा अवधारत करने के लिए निणायक तारीख विगोपन के वर्ष क 1 जुलाई होगी । आधार पर समूह 'क' (3) वेतन ब ड 3 15600-39100/- पए धन 7600/- ड वेतन

(6)

-- सद(य--

सद(य--

सद(य(4)

(i) सामाजिक विगोपन/पयावरण/पृष्ठ वी विगोपन/ इंजीनियरी/आपदा बंधन या सहबन विषय% म कम से कम 55% अंक% या समतु य णी म (नातको- तर िड		
ी । (ii) संबंधित या संबन वि+ाशाखा 8 म पी.एच.डी. िड		
ी के साथ उ- तम शैक्षणिक एकाड । (क) वि* विव+ालय%/(नातको- तर महावि+ालय% का संकाय सद(य (फैक टी), जो मूल		
काडर म नियमित आधार पर सटश पद धारण 3कए 4ए है ; या आव4 यक अह"ता		
आव4 यक अनुभव		
(7)		

(ख) सहायक आचाय के समतु य नियमित ास्थित म अह यापन का या अनुसंधान का कम से कम दस वर्ष का अनुभव ; और (ग) पु(तक% या अनुसंधान या नीति विषयक कागजप% का अनुमिकाबन या अ1 तरराJ Kीय मानक पु(तक संर यांक या अ1 तरराJ Kीय मानक Qम संर यांक संर यांकत जनल% के Sप म और अ1 तरराJ Kीय मानक पु(तक संर यांक या अ1 तरराJ Kीय मानक Qम संर यांक संर यांकत पु(तक% के Sप म 1 यूनतम पांच काशन% के साथ साT य सहित काशित कृतिय% ; (ii) वांछनीय अनुभव शैक्षणिक, नवीन पाWचया तथा पाWQम क@ परक पना और शिण मापदंड विक्सित करने तथा ौ+ोगिक@ परो& अह यापन शिण 3Qया के नववतन म योगदान ।

1Hkkx IIµ[k.M 3 (i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

17

(8) हां सीधी भत के लिए एक वर्ष(9) 50% सीधी भत ारा और 50% ितिनयुिारा (जिसके अंतगत अपकालिक संविदा भी है), जिसके न हो सकने पर सीधी भत ारा (10)

--

अनुसंधान सहयोगी के (तर पर सोलह वर्ष (या समतु य)क@ सेवा क@ है, और िजसका अउ छाशैि&क ERकाड है तथा जो पद के िलिए (तंभ (7) म दी गई आव* यक अहताएं पूरी करता है । (वशासीििनकाय% या िव* विव+ालय%या क !ीय सरकार या रा# य सरकार% ारा पूणतः िव- तपोिषित संगठन% के अधीन ऐसे अधिकाERय%/ संकाय सद(य%-म से, जो मूल काडर या िवभाग म िनयिमत आधार पर सदृश पद धारण 3कए 4ए ह; या -ारा:ऐसे सहायक आचायb म से ो1 नित ारा, िजसने 0ेणी म िनयिमत आधार पर दसवष (या समतु य)क@ सेवा क@ है या -ारा:-- क !ीय सरकार या रा#यसरकार% या संघ रा#य&े% या कानूनी या (11)

ऐसा सहायक आचाय, िजसने 0ेणी म िनयिमत आधार पर दसवषक@ सेवा क@ है और िजसके पास पद के िलिए (तंभ (7) म िविनतदJ टअहताएं ह । 1 :ितिनयुिक@ अविध साधारणतया तीन वर्ष क@ होगी, जो पांच वर्ष तक िव(ताERत क@ जा सकेगी । तथापि, ितिनयुिक@ अविध, िजसके अतगतके!ीय सरकार के उसी या 3कसीअ1य संगठन या िवभाग म इस िनयुि से ठीक पहले धाERत3कसीअ1य काडर बाF पद पर ितिनयुिक@ अविध भी है, पांच वर्ष से अधिक नह होगी ।

समूह 'क' ' ' ' िवभागीय1. सिचव (सीमा बंधन)/आपदा बंधन भाग का भारी िवशेष सिचव/अपर सिचव, गृह मंालय2.संयुL त सिचव (आपदा बंधन), गृह मंालयलिखत सेसेसेसे िमलकर2 ितिनयि पर िनयि क िलिए अधिकतम आय-सीमा, िवGापन क वर्ष क@ 1 ज(12) -- सद(य-- अमय&	ाई को 56 वर्ष होगी । लागू नह होता । (13)
---	--

3. कायपालक िनदेशक, राज Kीय आपदा बंधन सं(थान 4. सलाहकार/संयुL त सिचव, राज Kीय आपदा बंधन सं(थान 3कए जाने वाला) 5. . . . गृह मंी ारा नाम िनद_िशत 3कए जाने वाला, आपदा -- सद(य-- सद(य-- सद(य

	(2)			
5. परामश[(1)		समह 'क' (3)	वतन बड 3 15600-39100/- पए धन (4)	(5) हा

लागू नहहोता (6) हैहैहैहै। लागू नह होता(7) (8) हां लागू नह होता (9) ितिनयुिारा (िजसके अंतगतअपकािलकसंिवदा भी है) (10)

--

निकाय% या वि* विव+ालय%या क !ीय सरकार या रा# य सरकार% ारा पूणतः वि- तपोषित संगठन% के अधीन ऐसे अधिकारय% या कमचारय% म से, जो नियमित आधार पर सदस्य पद धारण 3कए 4ए ह । या वेतन ब ड 3 (15600-39100/- पए), 6600/-
 ेड वेतनम पांच वर्ष क@ सेवा वालेक !ीय/रा#य सरकार/संघ रा#य&े% या कानूनी या (वशासीनिकाय% या वि* विव+ालय%या क !ीय सरकार या रा# य सरकार% ारा पूणतः वि- तपोषित संगठन% के अधीन अधिकारी या वेतन ब ड 3 (15600-39100/- पए), 5400/-
 ेड वेतनम दस वर्ष क@ सेवा वालेक !ीय/रा#य सरकार के अधिकारी और जो निरलिखितअहताएं रखते ह% :- (i) आव 4 य3कसी मा। यताf त वि* विव+ालय से 55% अंक% के साथ (नातको- तर िड
 ी । (ii) बंधनीय भी हैहैहैहै) :- क !ीय सरकार या रा#यसरकार% या संघ रा#य&े% या कानूनी या (वशासी(11)

पी.एच.डी; या एम.3फल. या 3कसी राज Kीय या अंतरराज Kीय सं(थान या संगठन म सुसंगत &े' म एक वर्ष का िश&ण ।
 अविध, िजसके अतगतके!ीय सरकार के उसी या 3कसीअ1य संगठन या विभाग म इस िनयुि से ठीक पहले
 धारत3कसीअ1य काडर बाF पद पर ितिनयुिक@ अविध भी है, पांच वर्ष से अधिक नह होगी । 2 : : : अ पकािलक
 संविदा क@ अविधसाधारणतया तीन वर्ष क@ होगी, जो पांच वर्ष तक वि(ताएरत क@ जा सकेगी । 1 : ितिनयुिक@ अविध
 साधारणतया तीन वर्ष क@ होगी, जो पांच वर्ष तक वि(ताएरत क@ जा सकेगी । तथापि, ितिनयुिक@

समूह 'क' ' ' ' विभागीय1. सिचव (सीमा बंधन) या आपदा बंधन भाग का भारसाधक विविशेष सिचव या अपर सिचव 2. संयुL त सिचव (आपदा बंधन), गृह मंालयिमलकर बनेगी3 ितिनयि पर िनयि क िलए अधिकतम आय-सीमा विGापन क वर्ष क@ 1 जला(12) -- सद(य-- अय&	को 56 वर्ष होगी । लागू नह होता । (13)

3. . . . कायपालक िनदेशक, राज Kीय आपदा बंधन सं(थान 4. सलाहकार/संयुL त सिचव, राज Kीय आपदा बंधन सं(थान
 (सिचव, राज Kीय आपदा बंधन सं(थान ारा नाम िनद िशत 3कया जाएगा) 5. . . . गृह मंी ारा नाम िनद िशत 3कए
 जाने वाला, आपदा बंधन के &े' का एक विR यात बाहरी विविशेषG 6. सहायक आचाय
 लागू
 नह
 होता
 (1)

(5) * (कायभार के आधार पर पएवतन 3 कया जा सकता है।) 8* (आठ

1. उस वष क@, िजसको िवGापन जारी 3 कया जाता है, 1 जुलाई को 35 वष। 2. क!ीय सरकार ारा जारी 3 कए गए अनुदेश% या आदेश% के अनुसार सरकारी सेवक% के िलए पांच वष तक +ट6पण : आयु-सीमा अवधाERत करने के िलए िनणायक तारीख िवGापन के वष क@ 1 जुलाई होगी। िशिल क@ जा सकती है।

(2) समूह 'क' (3)

(6)

वेतन ब ड 3 15600-39100/- पए धन

5400/-

ेड वेतन

-- सद(य--

सद(य-- सद(य(4)

°Hkxkx Πμ[k.M 3 (i)

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

19

अह"ता : आव4 यक सामाजिक िवGान/पयावरण/पृM वी िवGान/इंजीनियरी/आपदा बंधन या सहबN िवषय% म कम से कम 55% अंक% के साथ (नातको- तर (7)

~~तंभ (7)~~ म िविनतदJ ट आव* यक अहताएं पूरी करते ह। परंतु िजनके पास पी.एच.डी. है, उनके मामले म 1 यूनतम सेवा अविध छह वषहोमी। ारा : ऐसे अनुसंधान सहयोगिय% म से ो1 नित ारा, िजनके पास सं(थान म िनयिमत आधार पर आठ वष का अनुभव है और जो ारा:-- क!ीय सरकार या रा#यसरकार% या संघ रा#य&े% या कानूनी या (वशासीनिकाय% या िव* विव+ालय% या क!ीय (11) सिवदा भी ह)

िड

ी या िनरंतर उ- तम शै&णिक ERकाड के साथ (नातको- तर िड

ी के समतु य िड

ी। वांछनीय (क) संबंधित या संबN विव+ालय% म एम.3 फल. या पी.एच.डी. िड

ी। (ख) नववतन शै&णिक, नवीन पाWचया तथा पाWQम क@ पएरक पना, िश&ण मापदंड िवकिसत करने तथा

ौ+ोगिक@ परो& अH यापन िश&ण 3Qया म योगदान।

सरकार या रा# य सरकार% ारा पूणतः िव- तपोषित िव* विव+ालय% या सं(था8 के ऐसे अधिकाERय% या कमचाERय% म से, जो मूल काडर म िनयिमत आधार पर सदृश पद धारण 3 कए 4ए ह और िजनके पास (तंभ (7) म िविनतदJ ट अहताएं ह। अविध, िजसके आगतके!ीय सरकार के उसी या 3 कसीअ1य संगठन या िवभाग म इस िनयुि से ठीक पहले धाERत 3 कसीअ1य काडर बाF पद पर ितिनयुिक@ अविध भी है, पांच वष से अधिक नह होगी।

(8) हां

1 : ितिनयुिक@ अविध साधारणतया तीन वष क@ होगी, जो पांच वष तक िव(ताERत क@ जा सकेगी। तथापि, ितिनयुिक@ सीधी भता के िलए एक वष(9)

50% ोन्नित ारा और 50% सीधी भत[या ितिनयुिंारा (िजसके अंतगतअपकािलक(10)

		लाई को 56 वष होगी । लागू नह होता । (1

2.आपदा बंधन से संबंधित आपदा बंधन भाग, गृह मंालय का िनदेशक/उप सिचव 3. िनदेशक/संयुL त सलाहकार/उप सिचव, राज Kीय आपदा बंधन ाधिकरण (सिचव, राज Kीय आपदा बंधन सं(थान ारा नाम िनद_िशत 3कए जाने वाला)

4. गृह सिचव ारा नाम िनद_िशत 3कए जाने वाला संबN िवषय/&े' का एक िवर यात िवशेषG सद(य -- सद(य-- सद(य-- सद(य

	एक 2013				

लागू नहहोता (5) सकता है ।) लागू नह होता(6) होतालागू (7) नह लागू होता (8) नह दो वष(9) वेतन ो1 नित, िजसके न हो सकने पर ितिनयुिंारा, (िजसके अंतगतअपकािलक संिवदा भी है) । (10)

4200/-

ेड वेतन म कम से कम आठ वष सेवा क@ होऔर िजनके पास बजट और लेखा िवषय% म काम करने का कम से कम छह वषका अनुभव ह% । (क) क !ीय सरकार या रा#यसरकार% या संघ रा#य&े'शासन के ऐसे अधिकारी-- (i) िज1ह%ने िनयमित आधार पर सदृश पद धारण 3कया4आ है ; या (iii) िज1ह%ने 9300-34800/- 0 के वेतन ब ड 2 धन 4800/- 0
ेड वेतन म कम से कम दो वष तक काय 3कया है ; या (iii) िज1ह%ने 9300-34800/- 0 के वेतन ब ड 2 धन 4600/- 0
ेड वेतन म कम से कम तीन वष तक काय 3कया है ; और (ख) िज1ह%ने िनलिखितम से कोई एक अहता है :-- (11)

(ii) िजसने सिचवालय िश&ण और बंधन सं(थान म रोकड़ और लेखा काय या समतु य म िश&ण सफलतापूर्वक पूरा 3कया हो तथा िजनके पास रोकड़ लेखे और बजट काय म एक वष का अनुभव हो ।अविध, िजसके अ1तगत क !ीय सरकार के उसी या 3कसीअ1य संगठन या िवभाग म इस िनयुि से ठीक पहले धाEरत3कसीअ1य काडर बाF पद पर ितिनयुिक@ अविध भी है, पांच वष से अधिक नह होगी ।

समूह 'क' विभागीय निमित्त लिखित सेसेसेसे मिलकर 1. कायपालक निदेशक, राजकीय आपदा बंधन सं(थान 2. निदेशक/उप सिचव, आपदा बंधन भाग, गृह 3 : : : : आय-सीमा अवधाएत करन क िलए िनणायक तारीख विवापन क वष क@ 1 जलाई ह(12) -- सद(य-- अहय&		गी । लागू नह होता । (13)	

मंालय 3. निदेशक/संयुत सलाहकार/उप सिचव, राज Kीय ारा नाम निदेशित 3कए जाने वाला संयुत निदेशक, 8. शासनिक अधिकारी (1) *(कायभार के आधार पर पएरवतन 3कया जा सकता है 1) (2) समूह 'क' (3)

सद(य-- सद(य

वेतन ब ड 3 15600-39100/- पए धन 5400/- डेड वेतन (4)

Hkkx IIµ[k.M 3 (i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

21

लागू नह होता (5) लागू होता (6) नहलागू होता (7) नह लागू होता (8) नह दो वष (9) ो1 नित, िजसके न हो सकने पर ितिनयुिारा (िजसके अंतगत अपकालिक संिवदा भी है) (10)

--

#0%ति:राJ Kीय आपदा बंधन सं(थान का ऐसा सहायक, िजसने (नातक क@ िड
ी के साथ 9300-34800 पए के वेतन ब ड 2 धन 4200/-
ेड वेतन म कम से कम आठ वष सेवा क@ हो और िजसके पास (थापन और शासिनक िवषय%म काम करने का कम से कम छह
वष का अनुभव ह%। (क) क !ीय सरकार या रा#य सरकार या संघ रा#य&े शासन का ऐसा अधिकारी-- (i) िजसने िनयिमत
आधार पर सदश पद धारण 3कया4आ है ; या (ii) िजसने 4800/- 0
ेड वेतन के साथ 9300-34800 . के वेतन ब डम कम से कम दो वष तक काय 3कया है ; या (iii) िजसने 4600/- 0
ेड वेतन के साथ 9300-34800 . के वेतन ब ड 2 म कम से कम तीन वष तक काय 3कया है और जो िनेलिखतअहता और अनुभव
रखते ह% :-- आव4 य(i) 3कसी मा1 यताfत िव* विव+ालय से िड
ी या समतु य ; और (ii) 3कसी सरकारी कार्यालय या लोक िनकाय या (वशासी िनकाय या क !ीय सरकार ारा िव- तपोषित
िव* विव+ालय% म शासिनक और (थापन संबंधित कायb म एक वष से अधिक का अनुभव । बंछनीय :- (थापन संबंधी िवषय% से
संबंधित िनयम% और िविनयम% क@ जानकारी । अंतग"तअ0पकािलक (11)

अविध, िजसके अ1तगतक !ीय सरकार के उसी या 3कसीआय संगठन या िवभाग म इस िनयुि से ठीक पहले
धाERत3कसीअ1य काडर बाF पद पर ितिनयुिक@ अविध भी है, पांच वष से अधिक नह होगी । 2 :ितिनयुि पर िनयुि के
िलए अधिकतम आयु-सीमा 56 वष होगी । 1 :ितिनयुिक@ अविध साधारणतया तीन वष क@ होगी, जो पांच वष तक िव(
ताERत क@ जा सकेगी । तथापि, ितिनयुिक@

		होगी । लागू नह होता । (13)

आपदा बंधन ाधिकरण (सिचव, राज Kीय आपदा बंधन ाधिकरण ारा नाम िनद_िशत 3कया जाने वाला) 4. सं(
थान/उसका ितिनिध, कायपालक िनदेशक, राज Kीय आपदा बंधन सं(थान ारा नाम िनद_िशत 3कए जाने वाला संयुL त
िनदेशक, राज Kीय आपदा बंधन -- सद(य

ERतपण : आयु-सीमा अवधाERत करने के िलए िनणायक तारीख

--	--	--	--	--

तथा अ य िपछड़े वगD के िलए ह 1) अनुसूचितजनजाति(6)			आवश्यकअह"ताएं एक िवषय के sप म क< f यूटर इं एम.सी.ए. या बी. टेक या (7)	
(12) िन;िलिखत सेसेसेसे िमलकर			लागू नह होता । (13)	
पERवतन3कया जा सकता ह 1) (6)			(7)	

9. क< f यूटर ो

ामर

+ट6पण : आयु-सीमा अवधाERत करने के िलए िनणायकतारीख िवGापन के वष क@ 1 जुलाई होगी ।

लागू नह होता

1. कायपालक िनदेशक, राज Kीय आपदा बंधन सं(थान 2. गृह मंालय म आपदा बंधन भाग का िवषय से संबंधित िनदेशक/उप सिचव

10. पु(तकालयाH य&

30 वष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के िलए 35 वष तथा अ1 य िपछड़े वगb के िलए 33 वष)

(क !ीय सरकार ारा जारी 3कए गए अनुदेश% या आदेश% के अनुसार सरकारी सेवक% के िलए 5 वष तक िशिथल क@ जा सकती है 1) िवGापन केवष क@ 1 जुलाई होगी ।

केEीयसरकारअनुसारसरकारीसकतीहैहैहै।)

(1)

(1)

(8)

*(कायभार के

आधार पर पERवतन 3कया

जा सकता

सेवककेके

केकेलिए

एक)

2014

*(कायभार

सीधी भत[3कए गए kिय% के

लिए दो वर्ष

अनुदेशया

के

आधा

र

(9)

आदे

श

समूह

‘ख’

क

(

3

)

पर

वांछनीय अह"ता बी.सी.ए. और सी.++ पा(कल, जावा, आ3द ो
ाहमग भाषा8 का उ- तम Gान तथा इलैL Kािनिक क< f यूटर म
ो

ाहमग और सोjटवेयर/वेबसाइट िवकास म कम से कम दो वर्ष का
अनुभव ।(i) क< f यूटर ो

ाहमग/िस(टम िडजाइन/िव* लेषण म औपचाERक िश&ण ।

(ii) एक या अधिक ो

ाहमग भाषा8 का Gान ।

समूह ‘ख’

वेतन ब ड

9300-34800/-

पए धन 4600/-

ेड वेतन

(3)

(i) 3कसी मा1 यताf त िव* विव+ालय या सं(थान से

पु(तकालय िवGान म (नातक िड

ी ।(ii) पु(तकालय के कायकरण म क< f यूटर

उपयोजन म वीणता ।(iii) पु(तकालय चालन म ।

यूनतम दो वर्ष का अनुभव ।

-- सद(य-- सद(य-- सद(य

--

के
(2)

दो वर्ष

आ
धा
र

(
9
)

लागू
नह
होता
प
र

(8)
समूह
'ख' (3)

लागू नह
होता
सीधी
भत्तारा

(9)

वेतन ब ड 9300-
34800/- पए धन
4600/-
ेड वेतन
10)

ो1 नित, िजसके न हो सकने पर
ितिनयुिारा
-- सद(य-- सद(य-- सद(य(4) -
- अमय&

(10)

लागू नह
होता

-- 11)

(5)

िनयिमत सेवा क@ हो । #ितिनयुिारा क !ीय सरकार के अधीन िनजी सिचव या आशुिलिपक या वैयिL तक सहायक का पद धारणकरने वाले ऐसे अधिकारी,-- ारा :सं(थान के ऐसे आशुिलिपक% या वैयिL तक सहायक% म से, िजनका ेड वेतन 4200/- हो और िज1 ह%ने उस 0ेणी म पांच वर्ष(11) या (िजसक अतगतअपकािलक सिवदा भी ह)

1. ितिनयि पर िनयि क िलए अधिकतम आय सीमा िवGापन क वष क@ 1 ज(12)	ाई को, 56 वष होगी । (13)
--	--------------------------

(क)(i) िज1ह%नेमूल काडर या िवभाग म िनयिमत आधार पर सदृश पद धारण 3कया4आ है ; या (ii) िज1ह%नेमूल काडर या िवभाग म 4200/- 0 या समतु य

ेड वेतन म आशुलिपक

ेड 2 म पांच वष क@ िनयिमत सेवा क@ है । और (ख) िजनक@ आशुलिप (अं
ेजी या हहदी) म 120 शा द ित िमनट और टंकण म 50 शा द ित िमनट क@ गित हो । अ9 यथा को वड ोसेसर म काम
करने म समथ होना चािहए और क !ीय सिचवालय m यवहार से सुपEरिचत होना चािहए ।

(i) कायपालक िनदेशक, राज Kीय आपदा बंधन सं(थान (ii) गृह मंालय का िनदेशक/उप सिचव (िवषय से संबंिधत)

(iii) संयुL त िनदेशक, राज Kीय आपदा बंधन सं(थान िन;िलिखत सेसेसेसे िमलकर --

सद(य-- सद(य-- अमय& लागू नह होता ।

12. वैयिL तक सहायक/ आशुलिपक

िणायक तारीख िवGापन के वष

क@ 1 जुलाई होगी । लागू नह होता

(1)

(8)

(6) 6* (छह) 2014

* (कायभार के आधार पर

पEरवतन3कया जा सकता है ।)

सीधी भत[3कए गए किय% के

िलए दो वष

(2)

(9)

3कसी मा1 यताा f त िव* विव+ालय या सं(थान से 3कसी िव+ाशाखा म
(नातक और िजनक@ आशुलिप (अं

ेजी या हहदी) म 100 शा द ित िमनट और टंकण म 50 शा दित िमनट
क@ गित हो ।

समूह 'ख' (3)

9300-34800 पए धन 4200

ेड वेतन

सीधी भत[ारा, िजसके न हो सकने पर

ितिनयुिारा

(4)

(7)

10)
लागू नह
होता(5)

#ितिनयुि-ारा क !ीय सरकार या रा#य सरकार या 3कसी (वशासीनिकाय या क !ीय सरकार या रा#य सरकार ारा वि- तपोषित सं(आशुलिपिक का पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी-- (क)(i) जिह%नेमूल काडर या विभाग म िनयिमत आधार पर सदश पद धारण 3 या (ii) जिह%ने 2400/- 0 या समतु य ेड वेतन के साथ वेतन ब ड 1 म दस वष क@ िनयिमत सेवा क@ है । और 11) (जिसक अतगतअपकालिक सिवदा भी ह) ।			
3 : : : : आय सीमा अवधारत करन क िलए िनणायक तारीख विगापन क वष क@ 1 ज(12) िनःिलिखत सेसेसेमिलकर		लाई होगी । लागू नह होता । (13)	

(ख) िजनक@ आशुलिपि (अं

ेजी या हहदी) म 100 शा द ित िमनट और टंकण म 50 शा द ित िमनट क@ गित हो । अविध, िजसके अतगतक !ीय सरकार के उसी या 3कसीअय संगठन या विभाग म इस िनयुि से ठीक पहले धाएरत3कसीअय काडर बाF पद पर ितिनयुिक@ अविध भी है, पांच वष से अधिक नह होगी ।

1. कायपालक िनदेशक, राज Kीय आपदा बंधन सं(थान 2. गृह मंालय का िनदेशक/उप सिचव (आपदा बंधन)--(विषय से संबंधित) 3. संयुL त िनदेशक, राज Kीय आपदा बंधन सं(थान

13. किनJ ठ अभयंता

2 : ितिनयुि पर िनयुि के िलए अधिकतम आयु-सीमा 56 वष होगी । 1 : ितिनयुिक@ अविध साधारणतया तीन वष क@ होगी, जो पांच वष तक वि(ताएरत क@ जा सकेगी । तथापि, ितिनयुिक@

(1) 1 (एक) 2014 (2) समूह 'ख' (3) 9300-34800/- पए धन 4200/-
ेड वेतन -- सद(य-- सद(य

-- अहय&

(4)

लागू नह होता(5)

1Hkkx IIµ[k.M 3 (i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

25

--	--

सीधी भत[10)

				लागू नह होता । (13)	
(6)			(7)		

सेवककेकेकेकेकेिलएअनु
सूचितजनजाति

4* (चार) 2014
 *(कायभार के आधार पर
 परवतनकया जा
 सकता है।)

अनु
 देश
 या
 (2)

आदेश
 केकेके
 के
 समूह
 'ख'

जासकती

(3) -- सद(य--

सद(य-- सद(य9300-34800/-

पए धन 4200/-

ेड वेतन

आव4 यक अह"ता और अनुभव (i)अथशा </शरीर
 विव=ान/मनोविव=ान/समाज विव=ान/गिणत/राजनीतिक
 विव=ान/शहरी योजना तथा भूउपयोग म और सुसंगत 7े< म कम से
 कम 55% अंक. (ii)सुसंगत 7े< म दो वष का अनुसंधान अनुभव।

(4) लागू नह होता(5)

+ट6पण : आयु-सीमा अवधारत करने के िलए िनणायक तारीख विवGापन के वष क@ 1 जुलाई होगी।

लागू नह होता (8)

दो वष(9)

11)

वांछनीय अह"ता : सुसंगत

विव+ाशाखा म पी.एच.डी./एम.3फल.

|

सीधी भत[10)

1. कायपालक िनदशक, राज Kीय आपदा बधन स(थान िन;िलिखत सससस िमलकर(12)	लागू नह होता।
----- -- अहय&	

33 / 75

(iii) िजनके पास सीधी भत[के िलए (तंभ (7) म िविनतदृ ट शैि&क अहताएं और अनुभव है। अविध, िजसके अ।तगतके।ीय सरकार के उसी या 3कसीअ।य संगठन या िवभाग म इस िनयुि से ठीक पहले धाERत3कसीअ।य काडर बाF पद पर ितिनयुिक@ अविध भी है, पांच वष से अधिक नह होगी ।

1. कायपालक िनदेशक, राज Kीय आपदा बंधन सं(थान 2. संयुL त िनदेशक, राज Kीय आपदा बंधन सं(थान 3. गृह मंालय का िनदेशक/उप सिचव (आपदा बंधन), (िवषय से संबंधित) 4. शासिनक/लेखा अधिकारी (पद क@ कृित पर िनभर रहते 4ए) 16. आंकडा िवि टचालक

तथा अ य िपछड़े वगD के िलए अनुसारसरकारीहैहैहै।) +ट6पण : आयु-सीमा अवधाERत करने के िलए िनणायक तारीख िवGापन के वष क@ 1 जुलाई होगी।

* 1. ये िनयम केवल 5 पद% को लागू ह%गे, L य%3क अ1 य 3 पद, गृह मंालय प सं0 35-7/2006-एन.डी.एम.-

III(ए)/IV/II तारीख के Eीयसरकार

8 फरवरी, 2011 के अनुसार, सेवा8 के आउटसोर्सिंग ारा भरे जाएंगे ।

लागू नह होता

2. ितिनयुि पर िनयुि के िलए अधिकतम आयु-सीमा 56 वष होगी । 1. ितिनयुिक@ अविध साधारणतया तीन वष क@ होगी, जो पांच वष तक िव(ताERत क@ जा सकेगी । तथापि, ितिनयुिक@

(1)

लागू नह होता(5)

वगD के िलए 30 के ~~ए~~ीयसरकारअनुसूिचतजाित (6) तथा अ य िपछड़े पERवतन3कया ज		ा सकता ह ।) आव4 यक अह"ताएं (i) 3कसी मा1 से (नातक िड ी ; (ii) फोटो ाफ@/वीिडयो ाफ@ म िडf लोमा/माणप' ; (iii) फोटो ाफर/वीिडयो ाफर के ऽप म तीन वष का अनुभव । (7)	
(12)		(13)	

अनुदेश या सेवा के के के के के लिए एक तिहाई है।) + ट 6 पण : आयु-सीमा अवधारणा करने के लिए निम्नांकित तारीखों के लिए पण के वर्ष के 1 जुलाई होगी।

(i) संयुक्त निदेशक, राजकीय आपदा बंधन सं (थान (ii) गृह मंत्रालय का निदेशक/उप सचिव (आपदा बंधन), (विषय से संबंधित) (iii) शासिनक अधिकारी, राजकीय आपदा बंधन सं (थान लागू नह होता (8)

आदेशकेकेकेकेअनुसार कजा
दो वष(9)

नि;िलिखत सेसेसेसे िमलकर

वांछनीय :3कसी मा। यताf तसं(थान से वीिडियो और ि(थर कैमरा, िल िL वड 3Q(टल िड (पले ोजेL टर या ओवर हैड ोजेL टर आ3द के संचालन का अनुभव ।

सीधी भत[ारा10)

-- सद(य-- सद(य-- अHय&लागू
नह होता ।

लागू नह

होता (11)

$${}^1\text{Hk} \times \Pi \mu[\text{k.M } 3 \text{ (i)}^0]$$

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

29

--	--	--	--	--

3कया जा सकता ह 1) अनुसूचितजनजाति(6)		आव4 यक (7)		

18. चालक

+ट6पण : आयु-सीमा अवधाERत करने के िलए िनणायकतारीख िवGापन के वष क@ 1 जुलाई होगी ।

1. संयुL त िनदेशक, राज Kीय आपदा बंधन
सं(धान 2. गृह मंालय का अवर सिचव (आपदा
बंधन) (आपदा बंधन िवषय से संबंधित) 3.
शासिनक अधिकारी, राज Kीय आपदा बंधन सं(
धाम्न 19. मशीन चालक 1* (एक) 2014

के Eीयसरकारअनुसारसरकारी

गी :--

सक

तीहैहै

हैहै।)

(1)

लागू नह होता

(1)

(8)

िपछड़े वगD के िलए 30

1* (एक) 2014 *(कायभार के

आधार पर पERवतन

सेवककेकेकेकेिलिए

*(कायभार के

आधार पर

पERवतन3कया जा

सकता

(2)

(12)

(2)

अनु

देशया

दो वष(9)

निम्नलिखित
सेसेसेसे
मिलकर
आदेश

स

मू

ह

,

ग

,

क

सीधी भत्ता द्वारा

(3)

समू

ह

‘ग’

(3)

-- सद(य-- सद(य

(i) 3कसी मा1 यताf त बोड या सं(थान से मैEKकुलेशन या समतु
य ; (ii) ह के मोटर वाहन% के िलए 3कसी िविधमा1य चालन
अनुGिप का होना । (iii) मोटर यं3Qया का Gान (अ9यथावाहन%
म छोटी मोटी खराबिय% को (iv) 3कसीह के मोटर वाहन के
चालन का कम से कम तीन वष का अनुभव ।

-- अमय&

10)

दूर करने के योग्य होना

चाहिए), और

5200—20200पए धन 1900

ेड वेतन

5200—20200 पए धन 1900

ेड वेतन

लागू नह होता । लागू नह होता (13) (11)

लागू नह

होता

लागू

नह होता

(

5

)

(

5

)

--	--

नह		दो वष(12)	सीधी भत[ारा*
			लाग नह होता (13)

लागू नह
होता ।
लागू नह
होता (11)

1Hkkx IIµ[k.M 3 (i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

31

				लाग नहL होत
अनुसारसरकारी ह I) आदेशकेकेकेके			आव4 यक अह"ताएं 3कसी माI यताf त बोड या सं(थान से मैE या (7)	
			लाग नह होता (13)	

हैहैहै I) +ट6पण : आयु-सीमा अवधाERत करने के िलए िनणायक तारीख िवGापन के

(i) संयुL त िनदेशक, राज Kीय आपदा बंधन सं(थान (ii) अवर सिचव (आपदा बंधन), गृह मंालय (िवषय से (iii)शासिनक अधिकारी, राज Kीय आपदा बंधन सं(थान **G.S.R. 600(E)**.—In exercise of the powers conferred by section 43, read with section 75, of the Disaster

Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules, namely: - संबंधित)

(1)

वष क@ 1 जुलाई होगी । (8) पERवतन3कया जा सकता

िलए 5 वष

(9)

िन;िलिखत

सेसेसे िमलकर

New Delhi, the 21stAugust,
2014

**MINISTRY OF HOME
AFFAIRS
NOTIFICATION**

(3) 5200-20200/- पए धन 1800/-
ेड वेतन

10)
वांछनीय अह"ताएं : पु(
तकालय िवGान म िडf
लोमा ।
-- सद(य-
- सद(य--
अHय&
समतु य उ-
तीण ।

(4)

[Qk-la-
45&9@2014&,u-Mh-
,e-&II] लागू नह होता ।
th-oh-oh- शेकZ]
la;qDr lfpo
(11)

(5)

PART-1

Preliminary

1. Short title and commencement.-

- (1) These rules may be called the National Institute of Disaster Management Employees (Recruitment and Other Conditions of Service) Rules, 2014.

2. Definition.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Act” means the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005);
- (b) “academic staff” means the persons appointed to the faculty posts of (Research Associate, Assistant Professors, Associate Professors, Professors) and Consultants;
- (c) “appointing authority” in relation to any post in the Institute, means the authority competent to make appointment to that post.
- (d) “borrowed employee” means an employee of any authority whose services are obtained by the Institute on loan;
- (e) “employee” means a person serving in the Institute in any sanctioned post of the Institute;
- (f) “foreign service” means service for which an employee received with the approval of the appointing authority, his pay from any source other than the funds of the Institute;
- (g) “Institute” means the National Institute of Disaster Management constituted vide notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 1862E, dated the 30th October, 2006 ;
- (h) “pay” means the pay admissible on the relevant date and includes special pay and personal pay as well as deputation allowance in case of borrowed employees but does not include any other allowances, fee or honorarium;

- (i) “permanent post” means a post carrying a definite rate of pay sanctioned without limit to time;
- (j) “regular service” in relation to any grade means the appointment to a sanctioned post according to prescribed procedure and after completion of probation;
- (k) “sanctioning authority” means -
 - (i) in relation to Group A posts; the Central Government;
 - (ii) in relation to Group B and C posts; the Executive Director;
- (l) “schedule” means a schedule to these rules;
- (m) “temporary employee” means the service of a temporary employee in a temporary post or officiating service in a permanent post;
- (n) “temporary post” means a post carrying a definite rate of pay for a limited time;
- (o) “governing body” means the Governing Body of the Institute constituted under sub-section(4) of Section 42 of the Disaster Management Act, 2005.

PART- II

TERMS AND CONDITIONS FOR RECRUITMENT

3. Name, number of posts, classification, etc..—The name, number, classification, pay band and grade

pay of various categories of posts in the Institute shall be as specified in columns (1) to (4) of the schedule.

4. Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc. .—The method of recruitment, age-

limit, qualifications and other matters connected thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the

Schedule.

5. Initial Constitution.-

(1) All employees appointed to various posts in regular pay band and grade pay shall be deemed to

have been appointed under these rules to the respective posts with effect from the date of their

service in the Institute.

¹Hkkx IIµ[k.M 3 (i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

33

(2) The services rendered in the Institute by the employees referred to in sub-rule (1) shall be counted for the purpose of qualifying service for promotion, confirmation, period of probation and pension from the date of their service in the Institute.

PART- III
APPOINTMENT, RETIREMENT AND
RESIGNATION

6. Seniority.- The seniority of employee in each category shall be determined by the order of merit in which they were selected for appointment to the grade, and shall be governed by their relative seniority obtained on the date of their initial appointment in the Institute.

7. Probation.-

(1) Every employee appointed to a post in the Institute by direct recruitment shall be on probation for such period as specified in column (9) of the Schedule :

Provided that the Executive Director may, for reasons to be recorded in writing and with the prior approval of the Central Government, extend the period of probation in such cases as may be considered necessary :

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken within eight weeks after the expiry of the probationary period and communicated in writing to the concerned employee together with the reasons for so doing.

(2) The extended period of probation referred to in sub-rule (1), should not exceed half of the specified probation period in any case.

(3) On completion of the period of probation or any extension thereof, employees shall, if considered fit for appointment, be retained in their appointments on regular basis and confirmed within eight weeks of the expiry of such probation.

(4) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Institute is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, the Institute may discharge or revert the candidate to the post held by him prior to this appointment, as the case may be, or pass such orders as deem fit.

8. All appointments to various posts shall be made by the Institute with the prior approval of the Central Government.

9. Certificate of fitness and antecedents.- No person shall be appointed to any post by direct recruitment unless

(a) he produces at his own cost a certificate of physical fitness in the prescribed format from a medical practitioner so authorised by the Institute:

Provided that no such certificate shall be required in case of temporary appointments for a period of less than six months:

Provided further that any extension beyond six months shall require a medical certificate of fitness.

- (b) the appointing authority is satisfied that he or she possesses good character and antecedents.

10. Liability for service in any part of India.-

Employees of the Institute shall be liable to serve anywhere in India.

- 11. Deputation.-** Any employee, who is appointed on deputation basis will be governed by the service rules of his parent cadre for the purposes of discipline, conduct, provident fund, pensionary benefits, leave, leave travel concession, group insurance scheme and related matters.

12. Disqualifications.- No person –

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment in the Institute :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 13. Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by orders and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

- 14. Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes and other backward classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

15. Termination of Service.-

- (1) The services of a temporary employee may be terminated by the appointing authority without assigning reasons-
- (a) during the period of probation following the first appointment, and after such period of probation, and before confirmation at any time, by notice of one month in writing or on payment of pay for such period as the notice falls short of one month or at any time without notice on payment of one month's pay;
- (b) in the case of temporary employee appointed for work in any project being implemented by the Institute including research projects, the manner of termination and the period of notice shall be as specified in the order of appointment.
- (2) Without prejudice to the provisions of clause (a) of the sub-rule (1), the services of a temporary employee shall terminate-
- (a) if his appointment is made for a specific period, on the expiry of such period; or
- (b) if his appointment is made against a temporary post, on the abolition of the post or on the expiry of the period for which the post is created.
- (3) An employee who is given notice of termination of service under clause (a) of sub-rule (1) may be granted during the period of notice, at the discretion of the appointing authority such earned leave as may be admissible to him.

- 16. Lien.-** A permanent employee of the Institute shall hold lien generally for not more than two years on the post substantively held by him provided his appointment in the other organisation was made through proper channel.

17. Retirement.-An employee shall retire from the institute - (a) on his attaining the age of sixty years; or

(b) on his being declared medically unfit for service by a Medical Board to be designated by the Institute in this behalf.

18. Voluntary retirement.-

(1) Employees of the Institute, who have put in not less than twenty years' qualifying service may, by giving notice of three months in writing to the appointing authority, retire from service voluntarily:

Provided that a notice of less than three months may be accepted in deserving cases, with the concurrence of the appointing authority.

(2) If an employee applies for voluntary retirement while he is on leave not due, without returning to duty, the retirement shall take effect from the date of commencement of the leave not due and the leave salary paid in respect of such leave not due shall be recovered.

(3) Before an employee gives notice of voluntary retirement, he shall satisfy himself by means of a reference to the Administration that he has, in fact, completed twenty years' qualifying service.

¹Hkkx Πμ[k.M 3 (i)^o

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

35

(4) A notice of voluntary retirement may be withdrawn subsequently only with the approval of the appointing authority provided the request for such withdrawal is made before the expiry of the notice.

(5) A notice of voluntary retirement given after completion of twenty years' qualifying service will require acceptance by the appointing authority if the date of retirement on the expiry of the notice would be earlier than the date on which the employee concerned could have retired under the existing rules applicable to him.

(6) Acceptance may be generally given in all cases except—

(a) where disciplinary proceedings are pending or contemplated against the employee and the disciplinary authority, having regard to the circumstances of the case, is of the view that the imposition of the penalty of removal or dismissal from service would be warranted in the case; or

(b) where prosecution is contemplated or may have been launched in a Court of law against the employee concerned.

(7) An employee giving notice of voluntary retirement may presume its acceptance by the appointing authority and the retirement shall be effective in terms of the notice unless the appointing authority issues an order to the contrary before the expiry of the period of notice.

(8) Institute employees on deputation to other organisations shall not be eligible to apply for retirement during the period of such deputation.

(9) An employee giving notice of voluntary retirement may also apply, before the expiry of the notice, for the leave standing to his credit which may be granted to him to run concurrently with the period of notice.

19. Resignation.-

(1) A temporary employee may, by notice of one month in writing addressed to the appointing authority, resign from the service of the Institute.

- (2) A permanent employee may, by giving three months' notice in writing addressed to the appointing authority, resign from the service of the Institute:

Provided that the appointing authority may allow a notice of lesser period under certain special circumstances for resignation under this rule.

PART- IV

PAY 20.

Initial

pay.-

- (1) An employee shall, on his appointment to a post, draw pay in the pay band and grade pay attached to that post:

Provided that the sanctioning authority may decide, subject to sub-rule (2), that employee shall draw pay at any higher stage in the pay band.

- (2) Fixation of pay band, grade pay or scale of pay of employees, appointed or promoted to the new posts involving the assumption of duties or responsibilities of greater importance or otherwise or transferred to another post on account of inefficiency or misbehaviour or on request shall be regulated on the analogy of the rules applicable to the Central Government employees from time to time.

21. Increments.-

An increment shall be drawn in the pay band of pay on 1st July of the year provided the employee has completed six months of service in that grade @ 3% of the sum of pay in pay band and grade pay applicable rounded off to next multiple of 10, unless it is withheld under the provision of these rules.

22. Service for increments.-The following service shall count for increments in the pay band of a post, namely -

- (a) duty in that post or in any other post in the same or higher grade, whether continuous or not;
- (b) duty in an equivalent or higher post in foreign service; and increments if it is satisfied that such leave was taken on account of illness or for any other cause beyond the control of the employee.

23. Pay during leave.-

- (1) An employee on casual leave or compensatory leave or quarantine leave shall draw pay as on duty.
- (2) An employee on earned leave, commuted leave, shall draw pay as drawn by him before proceeding on leave.
- (3) An employee on leave on half pay shall draw pay at half the rate of pay drawn by him before proceeding on leave.
- (4) An employee on study leave shall draw pay at such rate as may be specified by the Government of India.
- (6) An employee shall draw leave salary equal to the pay drawn by him immediately before proceeding on earned leave.

24. Pay during suspension.-An employee under suspension shall, during the period of suspension, be paid subsistence allowance as admissible to an employee in the Government of India.

25. Special pay, personal pay, honorarium and fee.- The Institute may sanction to an employee, in any

special circumstances, such special pay, personal pay, honorarium or fee on such conditions as may be determined by the sanctioning authority.

26. Drawal of pay.-

(1) An employee shall be entitled to the pay of the post to which he is appointed from the date on

which he assumes charge of the post.

(2) The pay and allowances to the employees of the Institute shall be payable on the last working

day of the month to which they relate, except for the month of March, which shall, however,

continue to be payable on the first working day of April.

(3) An employee resigning from the service of the Institute without the notice required under rule

21 shall not, unless the appointing authority directs otherwise, be allowed to draw pay due but not drawn.

Provided that the pay so not allowed to be drawn shall not exceed the pay for one month.

27. Bonus.- Payment of adhoc bonus to the employees of the Institute shall be at the same rate and subject

to the same limits as applicable to the employees of the Central Government from time to time.

PART- V

ALLOWANCES

28. Allowances.- All allowances as admissible to the Central Government employees from time to time

shall be admissible to the employees of the Institute at the same rates and on the same terms and conditions as

applicable to the Central Government employees.

29. Suspension and subsistence grant.- Rules relating to suspension and subsistence grant thereof as applicable to Central Government employees shall also apply to the employees of the Institute.

30. Leave travel concession.- The employees of the Institute shall be entitled to leave travel concessions

on the same terms and conditions as are admissible to the employees of the Central Government of equivalent

grade from time to time.

¹Hkkx Πμ[k.M 3 (i)^o

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

37

31. Drawal of allowance.-

(1) Dearness allowance, Transport allowance and house rent allowance admissible to an employee for any month shall be payable along with the pay of the employee.

(2) Journey allowance, leave travel concession and daily allowance shall be settled in respect of the employees of the Institute subject to the provision of adjustment of advance, if any, drawn from the Institute.

(3) An employee resigning from the Institute without the notice shall not, unless the appointing authority directs otherwise, be allowed to draw the allowance due but not drawn:

Provided that the allowances not allowed to be drawn shall not exceed one months allowances.

32. Deputation and training allowance.-

- (1) The employees of the Institute on deputation basis shall be given an option to either opt for the pay scale and other service benefits of the Institute or to retain their own pay scales and to get deputation allowance/training allowance as per the existing instructions of the Government of India on the subject.
- (2) Executive Director of the Institute shall draw sumptuary allowance at the rates admissible to Heads of Training Institutions of the Central Government.

**PART- VI
FACILITIES**

33. Outdoor medical facilities.-

- (1) Employees of the Institute shall be eligible to get medical reimbursement for self and declared members of family.

Explanation.-For the purposes of this sub-rule, the expression “family” shall have the same meaning as assigned to it in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

- (2) The reimbursement of outdoor medical expenses during the year shall be limited to the actual expenses or one month's pay as on 1st January of the year (Basic Pay + Dearness Allowance), whichever is less.
- (3) The claim should be supported by Doctor's prescription and the original cash memos or bills for treatment by the Doctor and purchase of medicines.
- (4) For employees of the Institute joining during the year, the annual entitlement shall be restricted on pro-rata basis.
- (5) The outdoor treatment shall be taken from the Authorised Medical Attendants from the panel to be maintained by the Institute.

Indoor treatment.-

- (1) For the purpose of indoor treatment the employees of the Institute shall be entitled for medical treatment at hospitals authorised by the Institute in this behalf, and for this purpose cost of treatment including hospital accommodation, nursing home facility, etc. shall be as per the provisions of the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944 as applicable to the Central Government employees drawing equivalent pay.
- (2) The authorised hospitals for the purpose of sub-rule (1) above shall be the same as are available to the Central Government employees regulated by Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.
- (3) Treatment at authorised hospitals may be taken on the advice of the Authorised Medical Attendants except in emergency.

34. Advances.-The Government of India rules with regard to advances such as festival advance, motor car advance, personal computer advance, house building advance, fan advance etc., shall be applicable to the employees of the Institute as per the rates and subject to the same limits as applicable to the employees of the Central Government from time to time.

35. Group insurance.-

- (1) Employees of the Institute other than those on deputation, shall be entitled to Group Insurance in consultation with the Central Government.
- (2) Employees of the Institute appointed on deputation shall continue to be governed by the

Group Insurance Schemes as are applicable to them in their parent Ministry or Department or Organisation.

- (3) The Institute shall recover contribution towards the Insurance schemes from the employees referred in sub-rule (2) and remit the amount immediately to the lending Ministry or Department or Organisation and any loss of interest on account of late remittance thereof shall be borne by the Institute.

36. Conveyance allowance.—The employees of the Institute shall be allowed the option to make use of an official vehicle or reimbursement of such amount as is admissible to the Central Government officers in equivalent pay and grade, for official work.

37. Telephone facility.—The Employees of the Institute shall be eligible for telephone facilities as admissible to officers of the Central Government drawing equivalent pay.

38. Expenses for official meetings.—The Employees of the Institute shall be eligible for expenses for official meetings as admissible to officers of the Central Government drawing equivalent pay.

PART VII

LEAVE

39. Leave rules.—The Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, as applicable to Central Government employees shall also apply to the employees of the Institute.

40. Procedure for grant of leave.—

- (1) An employee shall before proceeding on leave, make an application in the form specified by the Institute and shall also state in writing his address and telephone number while on leave and shall keep the Institute informed of any subsequent change in such address.
- (2) The Executive Director shall be the competent authority to dispose of all applications for leave other than study leave.
- (3) In the case of Executive Director, the Central Government shall be the competent authority to sanction leave including study leave.
- (4) The Institute shall maintain a leave account in respect of every employee.

PART VIII

PENSION AND OTHER BENEFITS

41. (1) Pension.—The provisions of the New Pension Scheme, 2004 along with the various orders and directions issued thereunder by the Government of India shall be applicable to all the employees of the Institute.

(2) **Career advancement.**— The provisions of career advancement as applicable to academic staff under the University Grants Commission shall be applicable to the academic staff of the Institute.

(3) **Modified Assured Career Progression.**—The provisions of Modified Assured Career Progression Scheme as applicable to Central Government employees shall be applicable to

1.	All Officers and staff in Group B and C	Executive Director	Major Penalties
2.	All Officers and staff in Group B and C	Joint Director	Minor Penalties
3..	Group A	Central Government	All Penalties

45. Special Provision regarding borrowed employees.-

- (1) Where an order of suspension is made or a disciplinary proceeding is commenced against a borrowed employee, the lending authority shall forthwith be informed of the circumstances leading to the order of suspension or commencement of the disciplinary proceedings, as the case may be.
- (2) In the light of the findings in the disciplinary proceeding taken against such employee-
- (a) if the authority imposing the penalty is of the opinion that any of the major penalties should be imposed on him, it shall place his services at the disposal of the lending authority and transmit to it the proceedings of the inquiry for such action as it deems necessary; and
- (b) if the authority imposing the penalty is of the opinion that any other penalty should be imposed on him, it may, after consultation with the lending authority, pass such orders on the case as it deems necessary:

Provided that in the event of a difference of opinion between the lending authority and the authority imposing the penalty, the service of the employee shall be placed at the disposal of the lending authority.

Explanation.—For the purposes of these rules, "lending authority" means the authority which has placed the services of the borrowed employee at the disposal of the Institute.

PART X

APPEALS AND REVIEW

46. Appellate authorities.- An appeal shall lie from any original order made by the Executive Director under these rules to the Central Government, and from an order made by an authority lower in rank than the Executive Director, to the Executive Director.

47. Period of limitation for appeals.-No appeal shall be entertained unless it is submitted within a period of forty-five days from the date on which the order appealed against is communicated to the person concerned:

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not submitting the appeal in time.

48. Form contents and submission of appeals.-

- (1) Every person submitting an appeal shall do so separately and in his own name.
- (2) The appeal shall be addressed to the appellate authority which shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies, shall not contain any disrespectful or improper language and shall be complete in itself.
- (3) Every appeal shall be submitted to the Executive Director who shall, unless he is himself the appellate authority, transmit it to the appellate authority.

49. Consideration of appeals.-The appellate authority shall consider every appeal and pass such orders as it deems proper in the circumstances of the case:

Provided that no order imposing an enhanced penalty shall be passed unless the appellant is given an opportunity of making any representation which he may wish to make against such enhanced penalty.

50. Review.-For the purposes of review, the procedure specified in the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal (CCA) Rules, 1965 shall also apply to the employees of the Institute.

51. Orders on re-instatement.-Where an employee who has been dismissed or suspended is reinstated, the authority reinstating him shall make an order specifying -

- (a) whether the employee may draw for the period of his absence from duty, any pay and allowances in addition to the pay and allowances admissible;
- (b) whether such period may be treated as a period spent on duty for all or any purposes.

PART XI
MISCELLANEOUS

52. Residential accommodation for employees.-

- (1) The employees of the Institute may be provided with unfurnished accommodation in its own campus after completion of construction of such buildings.

¹Hkkx Hk[k.M 3 (i)^o Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

41

- (2) The employees of the Institute may be provided with unfurnished accommodation taken on lease by the Institute till such time its own campus is developed and buildings are constructed:

Provided that the licence fee for such accommodation under this rule shall be charged in accordance with the provision of F.R. 45 A as amended from time to time.

- (3) Employees of the Institute including those taken on deputation shall be entitled for house rent allowance as admissible to the employees of the Central Government drawing similar pay.

53. Holidays.-The Institute shall observe such holidays as may be determined by the Central Government for offices situated in Delhi.

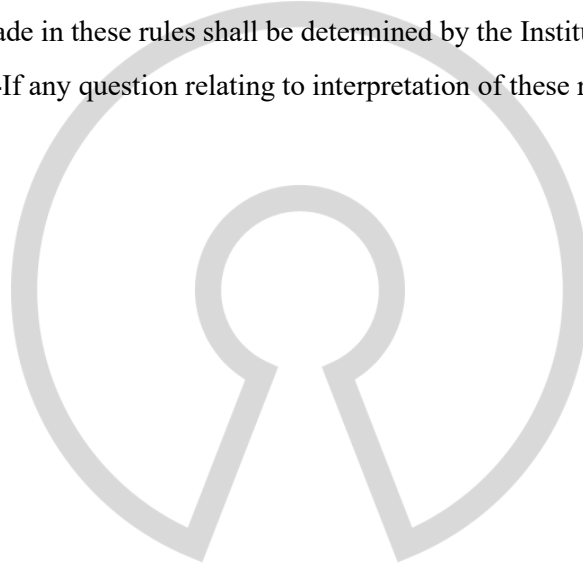
54. Service books and character rolls.–

- (1) The Institute shall maintain a service book and character roll of each employee in such form and setting out such particulars as may be specified by the Governing Body.
- (2) The entries in the service book of an employee shall be made by the authorised officer of the Institute.
- (3) The entries in the character roll of an employee shall be made according to the procedure laid down by the appointing authority.

55. Delegation of power by Executive Director.–The Executive Director may subject to the approval of the Governing Body, delegate any of the powers vested in him under these rules, to any of the officers of the Institute.

56. Residuary conditions of service.–Any matter relating to the conditions of service of an employee for which no provision is made in these rules shall be determined by the Institute.

57. Interpretation.–If any question relating to interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Central Government.



SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Executive Director	1(One)	Group ‘A’	Pay Band- 4 Rs. 37400-67000 plus Grade Pay of Rs. 10,000	Not applicable	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies	In case of recruitment by promotion or deputation or short term contract or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Not applicable	Not Applicable	Not applicable	By deputation (including Short Term Contract)	By Deputation (including Short Term Contract) From amongst officers of the Central Government or the State Governments or Union territories or Statutory or Autonomous bodies or Universities or Institutes fully funded by the Central Government	

				(a) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience except in the case of candidates from All India Services. Essential : (i) Eighteen years administrative and academic experience in the Central Government or the State Governments or Union territories or Statutory or Autonomous bodies or Universities or Institutes fully funded by the Central Government or State Government with at least five years of holding an administrative/statutory or managerial position. (ii) Master's Degree in any subject. (iii) Knowledge and experience of not less than five years in fields related to disaster management. Desirable : Ph.D or M.Phil. in any subject related to disaster management. Note 1: Period of deputation shall ordinarily be for five years extendable upto seven years. However, the period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition				Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in marking
(12)				(13)
Group 'A' Departmental Selection Committee (for considering appointment) consisting of :-				Not applicable

2. Secretary, (Border Management) or Special Secretary or Additional Secretary, In-charge of Disaster Management, Ministry of Home Affairs -Member				
3. Secretary, National Disaster Management Authority -Member				
4. Additional Secretary and Establishment Officer				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Joint Director	1 (One)* *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Pay Band 4 Rs. 37400-67000 plus Grade Pay of Rs. 8700	Not applicable
(7)	(8)	(9)	(10)	
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation (Including Short-Term Contract).	By deputation From amongst the o State Governments o Autonomous bodies Institutes fully funde Government,- (a)(i) holding a band – 4, Rs. 8700) i (ii) five year r Grade pay (iii) ten year r Grade pay (b) possessing the fo edu exp candidates from All Essential: (i) Master's Degre and (ii) Five years' exp PB-3, or five ye in an analogues post years of admin of Rs. 6600 in PB-3 Desirable:

				Experience years Management related administration. Note shall or extendable upto However, the deputation deputation post held this app some other orga department of Govern five years. Note 2: for app
12			13	
Group 'A' Departmental Selection Committee (for considering appointment) consisting of :- 1. Secretary (Border Management) or Special Secretary or Additional Secretary, In-charge of Disaster Management Division, Ministry of Home Affairs -Chairman 2. Secretary / Special Secretary / Additional Secretary / Joint Secretary (Administration), National Disaster Management Authority -Member 3. Joint Secretary, (Disaster Management) of the Ministry, In-charge of Disaster Management -Member 4.			Not applicable	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Professor	3 (Three)* *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Pay Band 4 Rs. 37400-67000 plus Grade Pay of Rs.10000	Not applicable
(7)	(8)		(9)	(10)
Essential qualification: (i) Master's Degree in Social Sciences / Environmental / Earth Science / Engineering / Disaster Management or allied subjects with at least 55% of the marks or its equivalent grade; and (ii) Ph.D with a consistently good academic record; and (iii) Published work of high quality, actively engaged in research and training with evidence of published work with a	Yes		One year for direct recruits	50% by promotion and 50% by deputation (Including Short-Term Contract failing which by direct recruitment.

¹Hkkx IIµ[k.M 3 (i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

45

papers in indexed or International Standard Book Number/ International Standard Serial Number numbered journals and as International Standard Book Number/ International Standard Serial Number numbered books; (iv) A minimum ten years' experience in Post Graduate teaching or training and research at the University or National level Institution. (v) Contribution to innovation in training or education, design of new curriculum and courses, developing training modules and technology. Desirable qualification: (i) Experience of guiding candidates for research at Doctoral level. (ii) An outstanding professional, with established reputation in the relevant field, who has made				funded Govern Govern in t depart qualif colum post the not ex limit
(12) Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation and promotion) consisting of :- 1. Union Home Secretary: or Secretary (Border Management) -Chairman 2. Secretary / Special Secretary / Additional Secretary, National Disaster Management Authority -Member 3. Joint Secretary (DM), Ministry of Home Affairs -Member 4. Three eminent external experts in the field of disaster			Not	
(1) 4. Associate Professor	(2) 4 (Four)* Subject to variation dependent on workload	(3) Group 'A'	(4) Pay Band 3 Rs. 15600 - 39100 plus Grade Pay of Rs. 7600	(5) Not applicabl
(7) (i) Essential qualification : (a) Masters Degree in Social Sciences /Environmental/Earth Science/ Engineering/Disaster Management or	(8) Yes	(9) One year for direct recruitment	(10) 50% by promotion and 50% by deputation	By Pr ten y

marks or its equivalent grade; and (b) Good academic record with Ph.D. degree in the concerned or allied disciplines. (ii) Essential Experience :- (a) The faculty of Universities/Post Graduate Colleges holding analogous post on regular basis in the parent cadre; or (b) A minimum of 10 years of experience of teaching or of research in a regular position equivalent to that of Assistant Professor; and (c) With evidence of published work with a minimum of five publications as books or research or policy papers in indexed or International Standard Book Number or International Standard Serial Number or numbered journals and as International Standard Book Number or International Standard Serial Number numbered books;. (iii) Desirable experience: Contribution to innovation educational, design of new curricula, courses and developing training modules, and technology-mediated teaching learning process.			Term Contract) failing which by direct recruitment	service the gr acade qualif (7). By de Contra From Govern Statut funded regula depart Assist in the specif Note be for years. includ ex-ca prece some the Ce five y Note appoin as on
---	--	--	--	--

(12)

Group 'A' Departmental Selection Committee (for considering appointment and promotion) consisting of :-

- Secretary (Border Management) or Special Secretary or Additional Secretary, In-charge of DM Division, Ministry of Home Affairs -Chairman
- Joint Secretary (Disaster Management), Ministry of Home Affairs - Member
- Executive Director, National Institute of Disaster Management - Member
- Advisor/ Joint Secretary , National Disaster Management Authority (to be nominated by Secretary, National Disaster Management Authority) -Member
- One eminent external expert in the field of disaster management to be nominated by Home Minister -Member

Not

1Hkkx IIµ[k.M 3 (i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

47

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
-----	-----	-----	-----	-----	--

5. Consultant	2 (Two)* Subject to variation dependent on	Group 'A'	Pay Band 3 Rs. 15600 - 39100 plus Grade Pay of Rs.	Yes	
(7)	(8)	(9)	(10)		
Not applicable	Yes	Not applicable	By Deputation (Including Short-Term Contract)	By Deputation Contract): From amongst t of the Centra Government Statutory or Universities or the Central Gover Government ho regular basis department. or Officers of the Cent Government Statutory or Universities or the Central Gover Government in th (Rs. 15600- Rs. 6600 wi officers of the Ce Government in th (Rs. 15600-39100) Gr Rs. 5400 with possessing the f Qualification :- (i) Essential:- 55% marks in Recognized University (ii) Desirable :- Ph.D or M.P training in the or international organization. Note 1: Peri ordinarily be fo upto five years. deputation including deputation in an immediately	
(12)			(13)		

Group 'A' Departmental Selection Committee (for considering appointment) consisting of :- 1. Secretary (Border Management) or Special Secretary or Additional Secretary, In-charge of DM Division, Ministry of Home Affairs -Chairman 2. Joint Secretary(Disaster Management), Ministry of Home Affairs -Member 3. Executive Director, National Institute of Disaster Management -Member 4. Advisor/ Joint Secretary , National Disaster Management Authority (to be nominated by Secretary, National Disaster Management Authority) -Member 5. One eminent external expert in the field of disaster			Not applicable		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
6. Assistant Professor	8 (Eight)* subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Pay Band 3 Rs. 15600 - 39100 plus Grade Pay of Rs. 5400	Not applicable	35 years which the Relaxable years in a or order Government Note : T age limi
(7)	(8)	(9)	(10)		
Qualification : Essential : Masters Degree with 55% marks in Social Sciences / Environmental / Earth Science / Engineering / Disaster Management or allied subjects with at least 55% of the marks or its equivalent in Masters Degree with consistent good academic record. Desirable : (i) M.Phil or Ph.D. in the concerned or allied disciplines. Contribution to innovation educational, design of new curricula and courses, developing training modules, and technology-mediated teaching learning process.		Yes	One year for direct recruitment	50% by promotion and 50% by direct recruitment or deputation (Including Short-Term Contract)	By prom From a Associate y in the Ins th q (7). Prov Ph.D the six years. By deput From am Government Union Te Aut Universit by Government regular ba possessin qualificat Note 1:Pe ordinarily However

1Hkkx HkM 3 (i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

49

(12)				
Group 'A' Departmental Selection Committee (for considering appointment and promotion) consisting of :- 1. Executive Director, National Institute of Disaster Management - Chairman 2. Director / Deputy Secretary, DM Division dealing with the subject Ministry of Home Affairs - Member 3. Director / Joint Advisor / Deputy Secretary, National Disaster Management Authority (to be nominated by Secretary, National Disaster Management Authority) - Member 4. One eminent expert member in the concerned subject/field to be nominated				
(1)	(2)	(3)	(4)	
7. Accounts Officer	1(One)* subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Pay Band-3 Rs. 15600 - 39100 plus Grade Pay of Rs. 5400	ap
(7)	(8)	(9)	(10)	
Not applicable	Not applicable	Two Years	Promotion, failing which deputation (Including Term Contract).	

(12)				
Group 'A' Departmental Selection Committee (for considering appointment and promotion) consisting of :- 1. Executive Director, National Institute of Disaster Management / Deputy Secretary, Disaster Management Division) Ministry of Home Affairs - Chairman 2. Director - Member 3. Director /Joint Advisor/ Deputy Secretary, NDMA (to be nominated by Secretary, NDMA) - Member 4. Joint Director, NIDM/Representative to be nominated by ED, NIDM - Member				Not applicable
(1)	(2)	(3)	(4)	(10)
8. Administrative Officer	1(One)(2013)* subject to variation dependent on	Group 'A'	Pay Band -3 Rs. 15600 - 39100 plus Grade Pay of	Not applicable
(7)	(8)	(9)	(10)	
Not applicable	Not applicable	Two Years	Promotion, failing which deputation (Including Term Contract)	

1Hkkx IIµ[k.M 3 (i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

51

				band-2 admin Deputa (a) C State C (i) hol or (ii) has Rs.930 (iii) ha of Rs.9 I experie Essent Degre Experi work f Public funded Desira Knowl establi Note 1 five includ other c Govern Note 2 deputa Note 3 be 1 st J
(12)				
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation and promotion) consisting of :- 1. Executive Director, National Institute of Disaster Management -Chairman 2 Director / Deputy Secretary, (Disaster Management) Ministry of Home Affairs -Member 3 Director /Joint Advisor / Deputy Secretary, NDMA (to be nominated by Secretary, NDMA -Member 4. Joint Director, NIDM/Representative to be nominated by ED. -			No	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

9. Computer Programmer	1(One)2014* subject to variation dependent on workload	Group 'B'		Pay Band-2 Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4600	Not applicable
(7)		(8)	(9)	(10)	
Essential Qualification: MCA or B. Tech or BCA with Computer Engineering as a subject and with good knowledge of programming languages like C++, Pascal, Java etc and at least two years of experience in programming on an electronic computer and software/ website development. Desirable Qualification: (i) Formal training in computer programming/ system design/ analysis		Not applicable	2 years for direct recruits	Direct recruitment	
(12)					
The Departmental Promotion Committee (Selection/Confirmation) consisting of : 1. Executive Director, NIDM - Chairman 2. Director / Deputy Secretary (DM), MHA dealing with the subject - Member 3. Joint Director, NIDM - Member				No	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
10. Librarian	1(One)2014* Subject to variation dependent on workload	Group 'B'		Pay Band – 2 Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4600	Not applicable
(7)		(8)	(9)	(10)	
(i) Bachelors Degree in Library Science form a recognized University or Institute. (ii) Proficiency in Computer Application in library functioning. (iii) Minimum two years of experience in library operation.		Not applicable	2 years	Direct recruitment	

¹Hkkx Πμ[k.M 3 (i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

53

(12)				
The Departmental Promotion Committee (Selection/Confirmation) consisting of : 1. Executive Director, NIDM - Chairman 2. Director / Deputy Secretary (DM), MHA (dealing with subject) -Member 3. Joint Director, NIDM -Member 4.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

11. Private Secretary	1(One) 2014*subject to variation dependent on	Group 'B'	Pay Band-2 Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4600	Not applicable
(7)	(8)	(9)	(10)	
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion, failing with by deputation (Including Short-Term Contract)	By Promotion From among the Institute w service in the or By deputation Officers holdi or Personal As Government: (i) holding an parent Or (ii) with five y with Grade Pa department. And (iii) possessing (English or Hi Candidate sho conveye Note 1: The n shall be 56 ye
(12)				
The Departmental Promotion Committee (Selection/Confirmation) consisting of : 1. Executive Director, NIDM -Chairman 2. Director/Deputy Secretary of MHA (dealing with the subject) -Member 3. Joint Director, NIDM -Member			Not applicable	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12. Personal Assistant/ Stenographer	6(Six)2014* subject to variation dependent on	Group 'B'	Pay Band-2 Rs.9300-34800plus Grade Pay of Rs. 4200	Not applicable
(7)	(8)	(9)	(10)	

Graduate in any discipline from a recognized University or Institute and possessing a speed of 100 words per minute in Shorthand (English or Hindi) and Typing 50 w.p.m	Not applicable	2 years for direct recruits	Direct failing which by deputation (including Short Term Contract)	By Deputation Officers holding Government body or Institute State Government (i) holding an or department Or (ii) with ten years Pay of Rs. 24000 possessing a (English or Hindi) Note 1: Period extendable up to 1 year in another ex-appointment in organ the Central Note 2: Maximum be 56 years. Note 3: The
---	----------------	-----------------------------	--	---

(12)

The Departmental Promotion Committee (Selection/Confirmation) consisting of :

- | | | |
|---|-----------|----------|
| 1. Executive Director, NIDM | -Chairman | 2. |
| Director / Deputy Secretary (DM) MHA (dealing with subject) | -Member | 3. Joint |
| Director, NIDM | -Member | |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13. Junior Engineer	1(One)2014	Group 'B'	Pay Band-2 Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4200	Not applicable

१Hkkx IIµ[k.M 3 (i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

55

(7)	(8)	(9)	(10)	
(i) Diploma in Civil Engineering; (ii) Five years of experience in maintenance and	Not applicable	2 years	Direct recruitment	

(12)			(13)		
The Departmental Promotion Committee (Selection/Confirmation) consisting of : 1. Executive Director, NIDM -Chairman 2. Director / Deputy Secretary (DM.), MHA (dealing with subject) -Member 3. Director / Joint Advisor / Deputy Secretary, NDMA -Member 4. Joint Director -Member			Not applicable		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14. Research Associate	4 (Four)2014*subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Pay Band-2 Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4200	Not applicable	
(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
Essential Qualification and Experience: (i) A Master Degree in Economics / Physiology / Psychology / Sociology / Mathematics / Political Science / Public Administration / Law / Bio Informatics / IT / Earth Sciences / Environmental Sciences / Urban Planning and Land Use, the relevant field with at least 55% marks or equivalent grading. (ii) Two years research experience in the relevant field		Not applicable	2 years	Direct recruitment	
(12)			(13)		
The Departmental Promotion Committee (Selection/Confirmation) consisting of : 1. Executive Director, National Institute of Disaster Management -Chairman 2. Director/Deputy Secretary (DM), MHA (dealing with the subject) -Member 3. Professor, National Institute of Disaster Management -Member 4. One eminent Expert in the relevant field to be nominated by the Ministry of Home Affairs -Member			Not applicable		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15. Administrative Assistant / Junior Assistant	2(two) 2014* *subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Pay Band-2 Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4200	Not applicable	
(7)		(8)	(9)	(10)	(11)

Graduate in any discipline from a recognized University or Institute with three years of experience in office administration/accounts in any Government Department or autonomous body or Institution funded by the Central or the State Government	Not applicable	2 years	Direct recruitment, failing which by Deputation (including Short Term Contract)	By Deputation (1) Officers un (a) (i) holding (ii) with six ye scale of Rs.520 equivalent; and (iii) Possessing experience sp column (7). Note 1: Period three years exte period of deput in another ex-c imme the same o department of f exceed five year Note 2: The M appoint 56 years. Note 3 : The c shall be 1 st Jul advertisement.
--	----------------	---------	---	---

(12)			(13)	
The Departmental Promotion Committee (Selection/Confirmation) consisting of : 1. Executive Director, NIDM Joint Director, NIDM Director / Deputy Secretary (DM), MHA (dealing with subject) Administrative/Accounts Officer (depending on the nature of the post)			-Chairman 2. -Member 3. -Member 4. -Member	

¹Hkkx IIµ[k.M 3 (i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

57

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. Data Entry Operator	8 *(eight)2014 *subject to variation depending on work load	Group 'C'	Pay Band-1 Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 2400	Not applicable	27 years (for SC / ST and for OBC 30 years) (Relaxable for C Servants upto 5 accordance with the in or orders issued by th Government. Note : The crucial
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	

(a) Bachelors Degree in any discipline from a recognised University or Institute or equivalent; (b) Should posses a speed of not less than 8000 Key Depressions per hour for Data Entry Work. Note 1 : The speed of 8000 Key Depressions per hour for Data Entry Work is to be judged by conducting a speed test on the Electronic Data Processing	Not applicable	Two years	By direct recruitment*	Not applicable
--	----------------	-----------	------------------------	----------------

*1. These rules shall be applicable for 5 posts only as other 3 posts are to be filled by Outsourcing of services as per MHA letter no. 35-7/2006-NDM-III (A)/IV/II dated 8th February, 2011.

2. After the present incumbents vacate the post, the requirement may thereafter be met by Outsourcing of services as per

MHA letter no. 35-7/2006-NDM-III (A)/IV/II dated 8th February, 2011.

(12)				
The Departmental Promotion Committee (Selection/Confirmation) consisting of : 1. Joint Director, National Institute of Disaster Management -Chairman 2. Director/ Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs (dealing with the subject) -Member 3. Administrative Officer, NIDM -Member			Not applicable	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17. Videographer-cum-Technical Assistant	1*(One) 2014* subject to variation depending on workload.	Group 'C'	Pay Band-1 Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 2400	Not applicable
(7)		(8)	(9)	(10)
Essential Qualifications:- (i) Bachelor's degree from a recognized University or Institution; (ii) Diploma / Certificate in Photography / Videography; (iii) Three years' experience as Photographer / Videographer. Desirable :- Experience in operating video and still camera, Liquid Crystal Display projector or Over Head Projector etc.,		Not applicable	Two years	By direct recruitment
(12)				

The Departmental Promotion Committee (Selection/Confirmation) consisting of : 1. Joint Director, National Institute of Disaster Management - Chairman 2. Director/ Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs (dealing with subject) - Member 3. Administrative Officer, NIDM - Member			Not ap	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18. Driver	1*(One)2014*subject to variation depending on workload.	Group 'C'	Pay Band-1 Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 1900	Not applicable
(7)		(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board or Institution; (ii) Possession of a valid driving license for light motor vehicles; (iii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicles), and		Not applicable	Two years	By direct recruitment
(12)			(12)	
The Departmental Promotion Committee (Selection/Confirmation) consisting of : 1. Joint Director, National Institute of Disaster Management - Chairman 2. Under Secretary (DM), Ministry of Home Affairs (dealing with the subject) - Member 3. Administrative Officer, NIDM - Member			Not ap	

१Hkkx IIµ[k.M 3 (i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

59

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19. Machine Operator	1*(One)2014* subject to variation depending on work load.	Group 'C'	Pay Band-1 Rs. 5200 - 20200 plus Grade Pay of Rs. 1900	Not applicable
(7)			(8)	(9)
Essential Qualifications :- (i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board or Institution; and (ii) Certificate/Diploma in operating electronic gadgets from a recognized Institute or Industrial Training Institute (ITI). Desirable Qualifications :- Proficiency with minimum one year experience in operating and handling photocopier machines.			No	Two years
(12)				

The Departmental Promotion Committee (Selection/Confirmation) consisting of :- 1.Joint Director, National Institute of Disaster Management -Chairman 2.Under Secretary (DM), Ministry of Home Affairs (dealing with subject) -Member				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20. Messenger	8*(eight)2014 *subject to variation depending on work load.	Group 'C'	Pay Band-1 Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 1800	Not appl
(7)		(8)	(9)	(10)
Essential:- Matriculation or equivalent pass from a recognised Board or Institute. Desirable:- (i) Possession of a valid driving licence for Motor Cycle or Three Wheeler; (ii) Two years' experience in driving Motor Cycle or Three Wheeler; (iii) Knowledge of Motor Cycle or Three Wheeler mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in the vehicles); (iv) Ability to read English and Hindi or Regional language of the area in which the concerned office is situated; and		Not applicable	Two years for direct recruits	By direct recruitment
(12)				
The Departmental Promotion Committee (Selection/Confirmation) consisting of :- 1. Joint Director, National Institute of Disaster Management -Chairman 2. Under Secretary (DM), Ministry of Home Affairs (dealing with subject) -Member 3. Administrative Officer, NIDM			Not applicable	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21. Library Attendant	1 *(One)2014 *subject to variation depending on workload.	Group 'C'	Pay Band-1 Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 1800	Not applica
(7)		(8)	(9)	
Essential Qualifications :- Matriculation or equivalent pass from a recognised Board or Institution. Desirable Qualifications :-		Not applicable	Two years	By direct recruitment
(12)				

74 / 75

KUMAR
2019.01.14
+05'30'

KUMAR Date:
12:47:50

